पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–21] रुड़की, शनिवार, दिनांक 29 अगस्त, 2020 ई0 (भाद्रपद 07, 1942 शक सम्वत्) [संख्या–30

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	557–575	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	379–383	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	241–268	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–1

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

06 जुलाई, 2020 ई0

संख्या 645/XXXI(1)/2020–पदो0–03/2017.TC–01–उत्तराखण्ड सचिवालय संवर्ग के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री सन्तोष चन्द्र मिश्रा को दिव्यांग कोटे में अन्धता और निम्न दृष्यता श्रेणी में नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी, वेतन–लेवल 10 (वेतनमान ₹ 56,100–1,77,500) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री सन्तोष चन्द्र मिश्रा को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3–उक्त प्रोन्नति मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून में योजित निर्देश याचिका: संख्या: 70/डी0बी0/2019 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन है।

4–अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नत होने वाले श्री सन्तोष चन्द्र मिश्रा की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

01 अगस्त, 2020 ई0

संख्या 768/XXXI(1)/2020/पदो0–01/2020–उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत अनु सचिव के पद पर कार्यरत श्री अनूप कुमार मिश्रा को नियमित चयनोपरान्त उप सचिव, वेतनमान लेवल–12 (वेतनमान ₹ 78,800–2,09,200) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री अनूप कुमार मिश्रा, उप सचिव को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3–उक्त प्रोन्नति मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून में योजित निर्देश याचिका: संख्या: 70/डी0बी0/2019 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

4–उप सचिव के पद पर पदोन्नत होने वाले उक्त अधिकारी की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

प्रोन्नति / विज्ञप्ति

01 अगस्त, 2020 ई0

संख्या 793 / XXXI(1) / 2020 / पदो0–01 / 2020–उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री कुंवर सिंह सजवाण को नियमित चयनोपरान्त अनु सचिव, वेतनमान लेवल–11 (वेतनमान ₹ 67,700–2,08,700) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री कुंवर सिंह सजवाण, अनु सचिव को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3–उक्त प्रोन्नति मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून में योजित निर्देश याचिका संख्या 70 / डी0बी0 / 2019 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं ज्येष्ठता के सम्बन्ध में विभिन्न मा0 न्यायालयों में योजित याचिकाओं में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

4–अनु सचिव के पद पर पदोन्नत होने वाले उक्त अधिकारी की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

प्रोन्नति / विज्ञप्ति

01 अगस्त, 2020 ई0

संख्या 794 / XXXI(1) / 2020 / पदो0–01 / 2020–उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री जगदम्बा प्रसाद मैखुरी को नियमित चयनोपरान्त अनु सचिव, वेतनमान लेवल–11 (वेतनमान ₹ 67,700 / –2,08,700) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री जगदम्बा प्रसाद मैखुरी, अनु सचिव को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3–उक्त प्रोन्नति मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून में योजित निर्देश याचिका संख्या 70 / डी0बी0 / 2019 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं ज्येष्ठता के सम्बन्ध में विभिन्न मा0 न्यायालयों में योजित याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

4–अनु सचिव के पद पर पदोन्नत होने वाले उक्त अधिकारी की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव।

औद्योगिक विकास अनुभाग–2

अधिसूचना

06 अगस्त, 2020 ई0

संख्या 443/VII-A-2/2020-05(सिडकुल)/2019–एतद्द्वारा राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या–1051/XVIII(II)/2019, दिनांक 04.10.2019 के क्रम में जनपद देहरादून के ग्राम छरबा, तहसील विकास नगर स्थित निम्नतालिकानुसार कुल भूमि 30.4693 है0 को एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र अर्थात फार्मा सिटी, फेज–2(Pharma & Medical Devices Industries हेतु) के रूप में विकसित करने के प्रयोजनार्थ औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम–1976 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 2(d) के अन्तर्गत अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

गांव का नाम/ तहसील	खसरा नं0	हस्तान्तरित रकवा (है0 में)
छरबा, विकासनगर, जिला–देहरादून।	278 ख	1.1350
	1530 क	1.8220
	1531 ख	2.7290
	1532 ख	1.1000
	1531 क	3.2230
	1532 क	2.2840
	1618	2.0600
	17क	6.0000
	260ख	10.1163
	कुल	30.4693

2–उक्त अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,

मनीषा पंवार,
अपर मुख्य सचिव।

नियोजन अनुभाग–2

20 जुलाई, 2020 ई0

संख्या 30/XXVI/दो(20)/2004–

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– अर्थ एवं संख्या निदेशालय में अपर निदेशक के एक अतिरिक्त पद के सृजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2229/स्था0–1(पद स्वी0)/2001–02, दिनांक 25.01.2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निदेशालय के अन्तर्गत भारत सरकार तथा उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सौपें गये कार्य यथा–सतत विकास लक्ष्यों के अनुश्रवण एवं समन्वयन, सपोर्ट फार स्टैस्टिकल स्ट्रैन्थिंग प्रोजेक्ट के कियान्वयन, आर्थिक सर्वेक्षण, मानव विकास रिपोर्ट, जी0आई0एस0 आधारित अनुश्रवण व्यवस्थापना आदि के कार्यों में हुई वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए अर्थ एवं संख्या निदेशालय में अपर निदेशक वेतनमान 123100–215900 (लेवल–13) में एक अतिरिक्त अस्थायी पद शासनादेश संख्या–67/XXVI/दो(20)/2004, दिनांक 29.08.2019 द्वारा दिनांक 29.02.2020 तक के लिए सृजित किया गया था। उक्त वर्णित शासनादेश द्वारा सृजित अपर निदेशक के पद की अग्रेत्तर अवधि अर्थात दिनांक 01.03.2020 से 28.02.2021 तक विस्तारीकरण किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान सं0–07 के अधीन लेखाशीर्षक–3454–जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02–सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 112–आर्थिक सलाह और सांख्यिकी,–03–अर्थ एवं संख्या अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–302/XXVII(7)/2020, दिनांक 18.06.2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

आज्ञा से,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7

अधिसूचना

प्रकीर्ण

02 जून, 2020 ई0

संख्या 112/XXVII(7)/20-50(16)/2020–राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक तथा मूल नियम के अधीन प्रदत्त शक्ति एवं इस निमित्त प्रदत्त अन्य समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 2 (भाग 2 से 4) (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) में दिये गये मूल नियम को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 2 (भाग 2 से 4) (संशोधन) नियमावली, 2020

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 2 (भाग 2 से 4) (संशोधन) नियमावली, 2020" कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. मूल नियम 18 का संशोधन–

उत्तर प्रदेश वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 2 (भाग–2 से 4) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) में स्तम्भ–1 में दिये गये मूल नियम 18 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
18. जब तक कि सरकार किसी मामले को विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अन्यथा अवधारित न करे, तब तक किसी सरकारी सेवक को, भारत में बाह्य सेवा से भिन्न अन्यत्र किसी ड्यूटी से पांच वर्ष की लगातार अनुपस्थिति के पश्चात् चाहे वह अवकाश पर हो या बिना अवकाश के हो, किसी भी प्रकार का पुरस्कार स्वीकृत नहीं किया जायेगा, पांच वर्ष से अधिक की अनुपस्थिति पर अनुशासनिक कार्यवाही से सम्बन्धित नियमों के उपबन्ध लागू होंगे।	18(1) किसी भी सरकारी सेवक को लगातार पांच वर्ष से अधिक अवधि का कोई भी अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। (2) सरकारी सेवक को मूल नियम–85 एवं सहायक नियम 157 (क)(4) के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम पॉच वर्ष तक का ही असाधारण अवकाश नियमानुसार स्वीकृत किया जा सकेगा। (3) सरकारी सेवक को सेवा से त्यागपत्र दिया हुआ मान लिया (deemed to be resigned) जायेगा यदि वह– (1) अनधिकृत रूप से एक वर्ष से अधिक समय से लगातार अनुपस्थित हो; या

(2) स्वीकृत अवकाश या अनुमति की अवधि समाप्त होने के पश्चात्, अनधिकृत रूप से एक वर्ष से अधिक समय से लगातार अनुपस्थित हो; या

(3) लगातार पांच वर्ष से अधिक समय से सेवा से अनुपस्थित हो, भले ही अनधिकृत रूप से अनुपस्थित होने का समय एक वर्ष से कम हो।

परन्तु यह कि इस उपनियम के अनुसार कार्यवाही करने के पूर्व सरकारी सेवक को ऐसे अनुपस्थिति के कारणों को स्पष्ट करने हेतु एक युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा:

3. सहायक नियम 157 क (4) (ख) का संशोधन–

उत्तर प्रदेश वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 2 (भाग 2 से 4) (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) में स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान सहायक नियम 157 क (4) (ख) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
157–क(4) (ख). जब तक मामले की विशेष परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल अन्यथा अवधारित न करें, किसी भी सरकारी सेवक को किसी भी अवसर पर उपनियम (ए) में उल्लिखित सीमाओं से अधिक असाधारण अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। अवकाश की समाप्ति के पश्चात् ड्यूटी में अनुपस्थित रहने पर अनुशासनिक कार्यवाही से सम्बन्धित नियमों के उपबन्ध लागू होंगे।	157–क(4) (ख). मूल नियम 18(2) में उल्लिखित अधिकतम समयावधि की सीमा के अधीन रहते हुए जब तक मामले की विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत राज्यपाल अन्यथा अवधारित न करें, किसी भी सरकारी सेवक को किसी भी अवसर पर उपनियम (क) में उल्लिखित सीमाओं से अधिक असाधारण अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। अवकाश की समाप्ति के पश्चात् ड्यूटी से अनुपस्थित रहना आचरण नियमावली के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही से सम्बन्धित नियमों के उपबन्ध लागू होंगे: परन्तु यह कि यदि ऐसी अनुपस्थिति मूल नियम 18 (3) के किसी खण्ड के अन्तर्गत आती है, तो मूल नियम 18 (3) के प्राविधान स्वमेव लागू हो जायेंगे।

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी
सचिव।

वित्त अनुभाग–9

विज्ञप्ति / पदोन्नति

15 जुलाई, 2020 ई0

संख्या 175 / 2020/XXVII(9)/स्टाम्प–02 / 2017–उत्तराखण्ड उप निबन्धक सेवा नियमावली, 2004 यथा संशोधित उत्तराखण्ड उप निबन्धक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2015 के प्राविधानों के अधीन स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड में चयन वर्ष 2019–20 में उप–निबन्धक (श्रेणी–II) वेतन मैट्रिक्स के स्तर–7 ₹ 44900–142400 (पूर्व वेतन बैंड ₹ 9300–34800 ग्रेड वेतन ₹ 4600) के पदों पर कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को उप–निबन्धक श्रेणी–I, वेतन मैट्रिक्स के स्तर–10 ₹ 56100–177500 (पूर्व वेतन बैंड ₹ 15600–39100 ग्रेड वेतन ₹ 5400) के पद पर तत्काल प्रभाव से पदोन्नत किया जाता है :–

1– श्री जनार्दन प्रसाद त्रिपाठी

2– श्री आदर्श कुमार वर्मा

2–उक्त अधिकारियों को पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

3–उपर्युक्त अधिकारियों की पदोन्नति इस शर्त के साथ की जाती है कि मा0 न्यायालय के आदेश अथवा अन्तिम रूप से वरिष्ठ कार्मिकों द्वारा उ0प्र0 राज्य से उत्तराखण्ड राज्य में कार्यभार ग्रहण करने की दशा में पदोन्नति परिवर्तनीय / परिवर्द्धित होगी।

अमित सिंह नेगी,
सचिव।

गृह अनुभाग–1

कार्यालय ज्ञाप

20 जुलाई, 2020 ई0

संख्या 352 / XX(1)–2020–2(8)2007–पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय / कार्मिक, पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्याः डीजी–एक–106–2000, दिनांक 20 जून, 2020 के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त श्री अनिल के. रतूड़ी (IPS-RR: 1987), पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड को अधिवर्षता आयु पूर्ण करने पर दिनांक 30.11.2020 के अपरान्ह् से सेवानिवृत्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

आज्ञा से,

नितेश कुमार झा,
सचिव।

पशुपालन अनुभाग–01

अधिसूचना

22 जुलाई, 2020 ई0

संख्या 671/XV-i-20/7(11)/2020–एतद्द्वारा पशुओं में संक्रामक और संसर्गजन्य रोगों के नियंत्रण और रोकथाम अधिनियम, 2009 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–27, वर्ष 2009) की धारा–6(1) एवं 6(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खुरपका–मुँहपका के नियन्त्रण एवं रोकथाम हेतु उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों को निषिद्ध क्षेत्र घोषित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–उक्त रोग के प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु राज्य सरकार द्वारा टीके उपलब्ध कराये जायेंगे तथा व्यापक स्तर पर राज्य में प्रत्येक पशुपालक द्वारा वर्ष में दो बार छः–छः माह के अन्तराल में, अपने पशुओं का टीकाकरण करवाना अनिवार्य होगा। कोई भी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशु खुरपका–मुँहपका रोग के टीकाकरण न होने की स्थिति में निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा।

3–यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

आज्ञा से,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–6

अधिसूचना

28 जुलाई, 2020 ई0

संख्या 326/XXVIII(6)-2020-02(पैरा)/2009 Part-2–उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2009 की धारा–3 की उपधारा–4 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या–202/XXVIII(6)/2020-02(पैरा)/2009 Part-II दिनांक–06 जुलाई, 2020 द्वारा गठित उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद् में नामित सदस्यों में से डॉ0 चन्द्र मोहन सिंह रावत, प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर, उत्तराखण्ड को परिषद् का अध्यक्ष एवं अपर निदेशक, (चिकित्सा उपचार), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उत्तराखण्ड परा–चिकित्सा परिषद् में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के दायित्व निर्वहन हेतु उक्त अधिकारियों को कोई अतिरिक्त वेतन एवं भत्ता देय नहीं होगा। इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत समस्त कार्यालय ज्ञाप/अधिसूचनायें अवक्रमित समझी जायेंगी।

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,
सचिव।

वित्त (वे0 आ0–सा0 नि0) अनुभाग–7

कार्यालय–ज्ञाप

29 जुलाई, 2020 ई0

संख्या 186/XXVII(7)/20–7(1)/2013–उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 2006, अंशदायी भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली तथा उत्तर प्रदेश अंशदायी भविष्य निधि पेंशन नियमावली, 1984 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) एवं उत्तराखण्ड में लागू अंशदायी पेंशन योजना के प्राविधानों के अनुसार श्री राज्यपाल घोषित करते हैं कि सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर दी जाने वाली ब्याज दर 01 जुलाई, 2020 से दिनांक 30 सितम्बर, 2020 तक 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) होगी। उक्त दर 01 जुलाई, 2020 से लागू होगी।

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,
सचिव।

सिंचाई अनुभाग–2

कार्यालय–ज्ञाप

04 अगस्त, 2020 ई0

संख्या 1020/II-2-2020-17(19)/2015–उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन और नियामक अधिनियम, 2013 एवं यथा संशोधित अधिनियम 2016 की धारा 3 की उपधारा 5 के प्राविधानों के अधीन सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन एवं नियामक आयोग के अध्यक्ष एवं 02 सदस्यों की नियुक्ति के सम्बन्ध में दिनांक 28.09.2016 को निर्गत विज्ञप्ति तथा तत्क्रम में गठित चयन समिति की संस्तुति दिनांक 06.10.2016 के क्रम में शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना/नियुक्ति संख्या 2908/II–2016/17(19)/2015, दिनांक 16.11.2016 के द्वारा श्री एन0 रविशंकर को अध्यक्ष पद हेतु, अधिसूचना/नियुक्ति संख्या 2906/II–2016/17(19)/2015, दिनांक 16.11.2016 द्वारा श्री हर्षपति उनियाल को सदस्य पद हेतु तथा अधिसूचना/नियुक्ति संख्या 2907/II–2016/17(19)/2015, दिनांक 16.11.2016 द्वारा श्री आर0आर0 भट्ट को सदस्य पद हेतु चयनित किया गया है।

एतद्द्वारा रिट याचिका संख्या–726/एम0एस0/2017 श्री आर0आर0 भट्ट बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.03.2020 में उक्त चयन समिति को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दूषित पाये जाने के कारण उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन एवं नियामक आयोग के अध्यक्ष एवं 02 सदस्यों की नियुक्ति के सम्बन्ध में दिनांक 28.09.2016 को निर्गत विज्ञप्ति तथा तत्क्रम में गठित चयन समिति की संस्तुति दिनांक 06.10.2016 के क्रम में निर्गत अधिसूचना/नियुक्ति संख्या 2908/II–2016/17(19)/2015, दिनांक 16.11.2016, अधिसूचना/नियुक्ति संख्या 2906/II–2016/17(19)/2015, दिनांक 16.11.2016 तथा अधिसूचना/नियुक्ति संख्या 2907/II–2016/17(19)/2015, दिनांक 16.11.2016 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

नितेश कुमार झा,
सचिव।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2

अधिसूचना

10 अगस्त, 2020 ई0

संख्या 341/XXIV-A-2/45/2008 T.C. IV–राज्यपाल, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–35, वर्ष 2009) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात् :–

उत्तराखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियमावली, 2020

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियमावली, 2020" है।
(2) यह दिनांक 01.01.2019 से प्रवृत्त समझी जाएगी।

नियम 4 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 4 के उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम 4(2)	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 4(2)
"कठिन धरातलीय प्रकृति वाले क्षेत्र, बाढ़ प्रभावित, सड़क विहीन क्षेत्र, भूस्खलन/भूकम्प से प्रभावित क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र, जिसमें छात्रों को अपने घर से विद्यालय पहुंचने में खतरा हो, राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी इन कठिनाईयों एवं इस प्रकार के खतरों को दूर करते हुए उपनियम (1) में निर्धारित की गई सीमाओं को शिथिल करते हुए विद्यालयों की स्थापना पर विचार कर सकती है।"	"कठिन धरातलीय प्रकृति वाले क्षेत्र, बाढ़ प्रभावित सड़क विहीन क्षेत्र, भूस्खलन/भूकम्प से प्रभावित क्षेत्र, सघन औद्योगिक एवं खनन क्षेत्र तथा जहां सामान्यतया छात्रों की पैदल आवाजाही में खतरा संभावित हो और ऐसे क्षेत्र, जिसमें छात्रों को अपने घर से विद्यालय पहुंचने में खतरा हो या गुणवत्ता परक शिक्षा दिये जाने के लिए राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी आवश्यक समझे, इन स्थानीय कठिनाईयों व छात्रों को गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान किये जाने के दृष्टिगत उपनियम (1) में निर्धारित की गई सीमाओं को यथाआवश्यकता शिथिल करते हुए विद्यालयों की स्थापना अथवा स्थानीय परिस्थितियों के दृष्टिगत विद्यमान विद्यालय का विलीनीकरण/एकीकरण कर सकती है।"

आज्ञा से,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव।

NOTIFICATION

August 10, 2020

No. 341/XXIV/45/2008 T.C. IV--In exercise of the powers conferred by section 38 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (Central Act No. 35 of 2009), the Governor makes the following rules with a view to make further amendment in the Uttarakhand Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011, namely :-

The Uttarakhand Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Rules, 2020

Short title, Exetnt and Commencement	1.	(1) These Rules may be called the **Uttarakhand Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Rules, 2020.** (2) It shall be deemed to come into force from 01 day of January, 2019.	
Amendment of rule 4	2	In the Uttarakhand Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011 for the existing sub rule (2) of rule 4 as set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely.	
		Column-1 **Existing Rule**	**Column-2** **Rule hereby Substituted**
		(2) In places with difficult terrain, floods affected, lack of roads and in general, danger for young students in the approach from their homes to the school, the State Government or the local authority may consider to locate the school in such a manner as to avoid such dangers, by reducing the areas or limits specified under sub rule (1).	(2) In places with difficult terrain nature, floods affected area, area with lack of roads, area affected with landslide/ earthquake, dense Industrial and mining areas and in general, where it is likely of danger for students in the approach from their homes to the school, or where the State Government or the local authority think necessary may consider to locate the school as to avoid such local dangers, or to provide quality education may establish school by relaxing limits as per necessity laid down **in sub rule (1)** may merge/ integrate the existing schools in view of local conditions.

By Order,

R. MEENAKSHI SUNDARAM,

Secretary.

पशुपालन अनुभाग–01

अधिसूचना

11 अगस्त, 2020 ई0

संख्या 714/XV-I/20/7(25)/2007–एतद्द्वारा पशुओं में संक्रामक और संसर्गजन्य रोगों के नियंत्रण और रोकथाम अधिनियम, 2009 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–27, वर्ष 2009) की धारा–6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके ग्लैण्डर्स रोग के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु राज्य में अश्ववंशीय पशुओं के अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं तथा अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर्जनपदीय परिवहन को निरूद्ध करने सहित ग्लैण्डर्स रोगग्रस्त क्षेत्र जनपद देहरादून में अश्ववंशीय पशु मेले, घुड़दौड़, अश्व प्रदर्शनियों, खेल एवं अश्ववंशीय पशुओं को एकत्रित करने वाली समस्त गतिविधियों को निरूद्ध किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–यह अधिसूचना जारी होने की तिथि से दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 तक प्रभावी होगी।

आज्ञा से,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव।

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार

कार्यालय ज्ञाप

14 अगस्त, 2020 ई0

पत्रांक 65/08/DPC/उपसचिव/अधि0/2020–21–उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग कार्यालय में अनुसचिव से उप सचिव (विभागीय) पद पर पदोन्नति हेतु गठित चयन समिति की बैठक दिनांक 14 अगस्त, 2020 की संस्तुति एवं मा0 अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन के क्रम में निम्न अनुसचिव को उपसचिव (विभागीय) के पद पर लेवल–12 (वेतनमान ₹ 78,800/– से ₹ 20,9200/–) में 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के अधीन अस्थायी रूप से नियमित प्रोन्नति प्रदान की जाती है :–

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम
01	02
1	डॉ0 प्रशान्त

2–उक्त प्रोन्नति के फलस्वरूप डॉ0 प्रशान्त की तैनाती का आदेश पृथक से निर्गत किया जायेगा।

राजेन्द्र कुमार,
सचिव।

पंचायतीराज अनुभाग–1

कार्यालय–ज्ञाप

22 जुलाई, 2020 ई0

संख्या 874/XII(1)-20-92(20)/2014-T.C–जनपद–हरिद्वार की जिला योजना समिति में पंचायतीराज अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–942/XII(1)-17-92(20)/2014-T.C दिनांक 17.06.2017 के द्वारा नामित किये गये सदस्यों का नामांकन निरस्त करते हुए, उत्तराखण्ड जिला योजना समिति अधिनियम–2007, उत्तराखण्ड जिला योजना समिति (संशोधन) अधिनियम–2016 एवं उत्तराखण्ड जिला योजना समिति नियमावली–2010 के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद–हरिद्वार में निम्नलिखित विवरणानुसार अंकित व्यक्तियों/महानुभावों को जिला योजना समिति में सदस्य के रूप में एतद्द्वारा नामित किया जाता है :–

जनपद–हरिद्वार

1–श्री बिजेन्द्र सिंह, पुत्र श्री नकली सिंह, निवासी–शेखपुरी, वि.ख.–लक्सर, हरिद्वार।

2–श्रीमती लतीफन, पत्नी मौ0 हासिम, निवासी–ग्राम–सराय, वि.ख.–बहादराबाद, हरिद्वार।

3–श्रीमती बबली चौधरी, पत्नी श्री सुशील चौधरी, निवासी–ग्राम–सुनहेटी आलापुर, वि.ख.–भगवानपुर, हरिद्वार।

4–श्री योगेश त्यागी, पुत्र श्री बिजेन्द्र कुमार, निवासी–ग्राम–खजूरी, वि.ख.–भगवानपुर, हरिद्वार।

5–श्री संदीप कुमार, पुत्र श्री कंवरपाल सिंह, निवासी–ग्राम–टिकोला कला, वि.ख.–नारसन, भगवानपुर, हरिद्वार।

6–श्री सुबोध राकेश, पुत्र श्री कलीराम राकेश, निवासी–ग्राम–छांगा मजरी, वि.ख.–भगवानपुर, हरिद्वार।

हरि चन्द्र सेमवाल,
अपर सचिव।

गृह अनुभाग–01

कार्यालय आदेश

23 जुलाई, 2020 ई0

संख्या 394/XX-1-2020-3(11)2004–एतद्द्वारा प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रेणी–1 (वेतन मैट्रिक्स में स्तर–12, ग्रेड वेतन– ₹ 7600) से अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी (वेतन मैट्रिक्स में स्तर–13, ग्रेड वेतन– ₹ 8700) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

क्र.सं.	नाम अधिकारी सर्वश्री/श्रीमती
1	अमित श्रीवास्तव–द्वितीय
2	श्वेता चौबे
3	अमित श्रीवास्तव–प्रथम
4	देवेन्द्र पींचा

2–पदोन्नत अधिकारियों को उनके कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा जैसा कि उत्तराखण्ड पुलिस सेवा नियमावली, 2009 के नियम–24 में प्रावधान है।

3– उक्तानुसार पदोन्नत अधिकारियों के स्थानान्तरण/तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
अतर सिंह,
अपर सचिव।

गृह अनुभाग–05

अधिसूचना

04 अगस्त, 2020 ई0

संख्या 18/XX(5)/20-01(अर्द्ध0सै0) 2019–राज्यपाल, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30, वर्ष 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) एवं धारा 40 की उपधारा (4) के उपबन्धों का अवलम्ब लेते हुये जारी की गयी अधिसूचना संख्या–643/XX(5)/19-01 (अर्द्ध0सै0)/2019, दिनांक–15.11.2019 के क्रम में उक्त अधिनियम की धारा 19 की उप धारा (1) के अधीन यह घोषणा करते हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजनार्थ जिला पिथौरागढ़ के परगना धारचूला, ग्राम–कालिका (गोठी) में 11वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल डीडीहाट की सीमा चौकी गोठी का स्थापनार्थ हेतु, निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित 0.190 है0 भूमि की आवश्यकता है। अतः पिथौरागढ़ के कलेक्टर को निर्देश देते है कि उक्त भूमि का अर्जन करने की कार्यवाही करें।

चूंकि, राज्यपाल को यह समाधान हो गया है कि यह मामला अत्यावश्यक है, इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (4) के अधीन राज्यपाल अग्रेत्तर यह भी निर्देश देते हैं कि यद्यपि (धारा 23 के अधीन) कोई अधिनिर्णय नही दिया गया है, तथापि उक्त लोक प्रयोजनार्थ पिथौरागढ के कलेक्टर धारा 21 की उपधारा (1) में उल्लिखित सूचना के प्रकाशन से 15 दिन के अवसान पर नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि पर कब्जा ले सकते हैं।

– अनुसूची–

जिला	परगना	ग्राम	प्लाट संख्या0	क्षेत्रफल(है0)
1	2	3	4	5
पिथौरागढ़	धारचूला	कालिका (गोठी)	6758 म0,	0.009
			6759 म0,	0.012
			6760	0.006
			6762 म0,	0.006
			6763 म0,	0.021
			6764	0.020
			6765	0.086
			6798 म0,	0.020
			6799 म0	0.010
			योग	0.190

टिप्पणी–भूमि का क्षेत्रफल व अन्य विवरण कलैक्टर पिथौरागढ़ के कार्यालय में हितवद्ध व्यक्ति द्वारा देखा जा सकता है।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार वी0के0,
अपर सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 18/XX(5)/20-01(Para. Military)/2019**, Dehradun dated August 04, 2020 for general information.

NOTIFICATION

August 04, 2020

No. 18/XX(5)/20-01(Para. Military)/2019--In order of notification No.643/XX(5)/20-01(Para military)/2019. Dated 15.11.2019 issued by under sub-section (1) of Section 11 and invoking the provision of sub-section (4) of Section 40 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act No. 30 of 2013), the Governor is pleased to declare under sub-Section (1) of section 19 of the said Act that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purposes for establishment of the 11th BN SSB 0.190 hect. private land in village Kalika (Gothi) Pargana Dharchula. Distt. Pithoragarh. Therefore, directs the Collector of District Pithoragarh to take action for acquiring the said land.

Whereas, the Governor is being satisfied that this matter is of urgency. therefore the Governor further directs under sub-section (4) of Section 40 of the said Act that though no award under Section 23 has been made. the Collector. Pithoragarh may. on the expiration of 15 days from the publication of the notice under sub section (1) of section 21. take possession on the said land mentioned in the Schedule below for the said public purposes.

SCHEDULE

District	Pargana	Village	Plot no.	Area (Hect.)
1	2	3	4	5
Pithoragarh	Dharchula	Kalika (Gothi)	6758 म0,	0.009
			6759 म0,	0.012
			6760	0.006
			6762 म0,	0.006
			6763 म0,	0.021
			6764	0.020
			6765	0.086
			6798 म0,	0.020
			6799 म0	0.010
			Total	**0.190**

Note:- Area of the land and other details may be inspected by the interested person in the office of the Collector, Almora.

By Order,

KRISHNA KUMAR V.K,

Additional Secretary.

राजस्व अनुभाग–3

अधिसूचना

30 जून, 2020 ई०

संख्या 300 / XVIII(3)/2020-03(05)/2020–राज्यपाल, उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1901 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, वर्ष 1901) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करते हैं कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन की तिथि से नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित ग्रामों के आबादी वाले क्षेत्र, सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के अधीन होंगे :–

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम का नाम
1	2	3	4
पौड़ी गढ़वाल	चाकीसैंण	थैलीसैंण	न्याणगढ़
			खण्डखिल
			नौगांव
			चोपड़ा
			गोदा
	यमकेश्वर	गंगा सलाण	जुडडा
			मौन पल्ला
			मौन वल्ला
			मराल
			पुन्डरासू

आज्ञा से,

सुशील कुमार,
सचिव (प्रभारी)।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of the Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 300/XVIII(3)/2020-03(05)/2020**, dated June 30, 2020 for general information.

NOTIFICATION

June 30, 2020

No. 300/XVIII(3)/2020-03(05)/2020--In exercise of the powers under section 48 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901 (U.P. Act. No. 3 of 1901), (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to declare that the settlement area of villages mentioned in the Schedule below shall be under survey and Record Operations with effect from the date of publication of the notification in the official Gazette :-

Schedule

District	Tehsil	Pargana	Name of Village
1	2	3	4
Pauri Garhwal	Chakisain	Thailisain	NyanGarh
			Khandkhil
			Naugaon
			Chopra
			Goda
	Yamkeshwar	Ganga Salan	Judda
			Maun Palla
			Maun Walla
			Maral
			Pundrasu

By Order,

SUSHIL KUMAR,
Secretary In-charge.

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

अधिसूचना

22 जुलाई, 2020 ई0

संख्या 631 / XIV-2009/SLSA/2020—विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987(अधिनियम सं0 39, सन् 1987) की धारा 11—क के साथ सपठित उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली, 2006 के नियम—14 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या : 1422 / XIV-2009/SLSA/2015, दिनांकित 04 मार्च, 2015 में निर्दिष्ट जनपदवार तहसील विधिक सेवा समितियों (कुल 31) के अतिरिक्त, निम्न तालिका में वर्णित जनपदवार तहसीलों के लिये पृथक समिति का गठन करते हैं, जिसे सम्बन्धित तहसील की तहसील विधिक सेवा समिति कहा जायेगा :—

जनपदवार तहसील विधिक सेवा समितियों की सूची

क्र. स.	जनपद	नाम तहसील विधिक सेवा समिति	पदाधिकारी
1.	देहरादून	तहसील विधिक सेवा समिति, डोईवाला।	1. ज्येष्ठतम न्यायिक अधिकारी, डोईवाला – **पदेन अध्यक्ष** 2. कनिष्ठतम न्यायिक अधिकारी, डोईवाला अथवा उनकी अनुपस्थिति में तहसीलदार, डोईवाला, यथास्थिति – **पदेन सचिव** 3. ज्येष्ठतम राजपत्रित पुलिस अधिकारी, डोईवाला – **पदेन सदस्य**
2.	पिथौरागढ़	तहसील विधिक सेवा समिति, धारचूला।	1. ज्येष्ठतम न्यायिक अधिकारी, धारचूला – **पदेन अध्यक्ष** 2. कनिष्ठतम न्यायिक अधिकारी, धारचूला अथवा उनकी अनुपस्थिति में तहसीलदार, धारचूला, यथास्थिति – **पदेन सचिव** 3. ज्येष्ठतम राजपत्रित पुलिस अधिकारी, धारचूला – **पदेन सदस्य**
3.	ऊधमसिंह नगर	तहसील विधिक सेवा समिति, बाजपुर।	1. ज्येष्ठतम न्यायिक अधिकारी, बाजपुर – **पदेन अध्यक्ष** 2. कनिष्ठतम न्यायिक अधिकारी, बाजपुर अथवा उनकी अनुपस्थिति में तहसीलदार, बाजपुर, यथास्थिति – **पदेन सचिव** 3. ज्येष्ठतम राजपत्रित पुलिस अधिकारी, बाजपुर– **पदेन सदस्य**
		तहसील विधिक सेवा समिति, जसपुर।	1. ज्येष्ठतम न्यायिक अधिकारी, जसपुर– **पदेन अध्यक्ष** 2. कनिष्ठतम न्यायिक अधिकारी, जसपुर अथवा उनकी अनुपस्थिति में तहसीलदार, जसपुर, यथास्थिति – **पदेन सचिव** 3. राजपत्रित पुलिस अधिकारी, जसपुर– **पदेन सदस्य**
		तहसील विधिक सेवा समिति, सितारगंज।	1. ज्येष्ठतम न्यायिक अधिकारी, सितारगंज – **पदेन अध्यक्ष** 2. कनिष्ठतम न्यायिक अधिकारी, सितारगंज अथवा उनकी अनुपस्थिति में तहसीलदार, सितारगंज, यथास्थिति – **पदेन सचिव** 3. राजपत्रित पुलिस अधिकारी, सितारगंज – **पदेन सदस्य**

नोट: प्रत्येक तहसील विधिक सेवा समिति उन समस्त तहसीलों का क्षेत्राधिकार रखेगी, जिसके सम्बन्ध में तहसील में स्थित बाह्य न्यायालय क्षेत्राधिकार रखता है।

आज्ञा से माननीय कार्यपालक अध्यक्ष,

ह0/–

डॉ0 जी0 के0 शर्मा,

सदस्य–सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 30 हिन्दी गजट/293–भाग 1–2020 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 29 अगस्त 2020 ई0 (भाद्रपद 07, 1942 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

UTTARAKHAND PUBLIC SERVICES TRIBUNAL, DEHRADUN

CHARGE CERTIFICATE

July 14, 2020

No. 92/PST/Admn. IV/2020/D.Dun--Certified that in compliance of the Hon'ble High Court of Uttarakhand letters No. 3069 XVII-113/Admin.A/2004 and 3070/XVII-113/Admin.A/2004 dated 10.07.2020 and vide Uttarakhand Govt. Notification No. 186(2)/XXXVI(1)/2020-18/2000 T.C.-I, dated 10.07.2020, the charge of the office of the Joint Registrar (Judl. & Admin.), Uttarakhand Public Services Tribunal, Dehradun has been taken over, as denoted herein, in the forenoon of July 14, 2020.

SHWETA RANA CHAUHAN,
Relieving Officer.

Countersigned,

Illegible,

Chairman,
Uttarakhand Public Services Tribunal,
Dehradun.

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी रूद्रप्रयाग

आदेश

18 जुलाई, 2020 ई0

संख्या 130/प्रवर्तन/लाइसेन्स/2020–सर्वोच्च न्यायालय के अधीन गठित सड़क सुरक्षा समिति के सन्दर्भ संख्या 05/2014/सी0ओ0आरएस0–पार्ट–3 दिनांक 18.08.2015 सन्दर्भ संख्या 05/2014/सी0ओ0आर0एस0–पार्ट–3 दिनांक 17.11.2015 के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने के विदित अभियोग में वाहनों के चालान कर वाहन चालकों के लाइसेन्स के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। अतः लाइसेंसधारकों को उक्त सम्बन्ध में सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए एवं दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेन्सिंग अधिकारी रूद्रप्रयाग के रूप में मैं मोहित कुमार कोठारी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी रूद्रप्रयाग मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्न चालकों के लाइसेन्स तत्काल प्रभाव से निलंबित करता हूँ। उक्त अवधि में लाइसेंस निलम्बित अवस्था में कार्यालय में जमा रहेगा। उक्त अवधि के पश्चात् लाइसेंस अवमुक्त किया जायेगा :–

क0 सं0	चालक का नाम व पता	डी0एल0 संख्या	अभियोग	चालानकर्ता प्रवर्तन अधिकारी	निलम्बन अवधि
1	वीरपाल लाल पुत्र श्री मुन्ना लाल ग्राम व पो0 कण्डारा, चंद्रापुरी जनपद रूद्रप्रयाग।	UK-1320140005605 VALIDITY (NT) 09-04-2026	बिना हेलमेट वाहन का संचालन।	ARTO RUDRAPRAYAG	18.07.2020 से 17.10.2020
2	पल्लव सजवाण पुत्र श्री विक्रम सिंह सजवाण, पता– एच0आई0जी 115 इंद्रा पुरम जी0एम0एस0 रौड देहरादून पिन–248001	UA-0720100108483 VALIDITY (NT) 20-04-2030	बिना हेलमेट वाहन का संचालन।	ARTO RUDRAPRAYAG	18.07.2020 से 17.10.2020
3	केशव सिंह पुत्र श्री कुशाल सिंह 25 एच0एन0बी0 कॉलोनी अजब पुर खुर्द देहरादून।	UK-0720060281710 VALIDITY (NT) 09-04-2026	बिना हेलमेट वाहन का संचालन।	ARTO RUDRAPRAYAG	18.07.2020 से 17.10.2020
4	बबलू धाली पुत्र श्री उपेन धाली दाउदपुर कॉलोनी पो0 कराई चौकी बंसीहारी जनपद दक्षिण दिनाजपुर पश्चिम बंगाल।	WB-62/52447 VALIDITY (NT) 01-01-2029	बिना हेलमेट वाहन का संचालन।	ARTO RUDRAPRAYAG	18.07.2020 से 17.10.2020
5	संजय राज पुत्र श्री सिताबू लाल उलरसू जखोली रूद्रप्रयाग पिन–246421	UK-1320180001664 VALIDITY (NT) 19-09-2038	बिना हेलमेट वाहन का संचालन।	ARTO RUDRAPRAYAG	18.07.2020 से 17.10.2020
6	कुसुम लता पुत्री श्री दिरपाल सिंह ग्राम सौंडी अगस्तमुनि जनपद रूद्रप्रयाग पिन– 246171	UK-1320170011256 VALIDITY (NT) 02-02-2037	बिना हेलमेट वाहन का संचालन।	ARTO RUDRAPRAYAG	18.07.2020 से 17.10.2020
7	दीपक राणा पुत्र श्री रणवीर सिंह राणा ग्राम जसपुर पो0 महरगॉव चिन्यालिसौड उत्तरकाशी पिन–249152	UK-1020130005517 VALIDITY (NT) 23-01-2033 VALIDITY (T) 08-01-2021	वाहन संचालन के दौरान मोबाइल फोन का प्रयोग।	ARTO RUDRAPRAYAG	18.07.2020 से 17.10.2020

मोहित कुमार कोठारी,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

कार्यालय उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत)

कार्यालयादेश

18 जुलाई, 2020 ई0

पत्रांक 475 निलम्बन/2020–निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति का निलम्बन कम से कम 03 माह हेतु, वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जन सुरक्षा को दृष्टिगत ओवरलोडिंग व शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगों में संलिप्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा–निर्देशों के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है :–

	लाइसेन्स धारक का नाम व पता	लाइसेन्स संख्या/श्रेणी एवं वैधता	संस्तुतिकर्ता अधिकारी	अभियोग	निलम्बन अवधि
1	कैलाश चन्द्र पाण्डे पुत्र देवी दत्त पाण्डे निवासी 56 गैंडाखाली न0 3 टनकपुर जिला चम्पावत।	UK-032012002754 मोटर साइकिल, हल्का मोटर वाहनNT, TRANS PSV BUS TRवैधता 23.08.2032	टी.आई. जयपुर पुलिस	एम वी एक्ट का उल्लंघन।	23.06.2020 से 22.9.2020
2	लालता प्रसाद पुत्र श्री नेम चन्द्र निवासी ग्राम खटोला थाना बहेड़ी जिला बरेली।	UP-2520090001718 मोटर साइकिल विदगियार, हल्का मोटर वाहन NT;वैधता 29.07.2029	टी.आई. चम्पावत।	हेलमेट का प्रयोग नही।	उपरोक्तानुसार।
3	सुनील भट्ट पुत्र श्री धर्मानंद भट्ट निवासी कोट अमोड़ी जिला चम्पावत।	UK-0320170038708 मोटर साइकिल विद गियर, NT; वैधता 22.10.2037	उपरोक्तानुसार।	उपरोक्तानुसार।	उपरोक्तानुसार।
4	कैलाश नाथ पुत्र रमेश नाथ निवासी तल्ली चौकी फुंगर थाना व जिला चम्पावत।	UK03 20190001826 मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन(NT)वैधता 08.08.2039	उपरोक्तानुसार।	उपरोक्तानुसार।	उपरोक्तानुसार।
5	नीलाधर पुत्र कौशल दत्त निवासी ग्राम पल्सों थाना व जिला चम्पावत।	UK03 20110005762 मोटर साइकिल विद गियार, हल्का मोटर वाहन (NT); वैधता 11.06.2022	उपरोक्तानुसार।	उपरोक्तानुसार।	उपरोक्तानुसार।
6	ललित सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी शान्त बाजार चम्पावत।	UK 0320190002122 मोटर साइकिल विद गियार, हल्का मोटर वाहन NT, वैधता 06.07.2040	उपरोक्तानुसार।	हेलमेट का प्रयोग नही।	उपरोक्तानुसार।
7	विनोद सिंह पुत्र सोबन सिंह निवासी नायक खेड़ा टनकपुर चम्पावत।	UK03/9415/TNK/09 मोटरसाइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन, NT, वैधता 20.08.2029	उपरोक्तानुसार।	हेलमेट का प्रयोग नही ।	उपरोक्तानुसार।
8	होशियार सिंह पुत्र पुत्र राम सिंह निवासी राजीव नगर बिन्दूखत्ता लालकुँआ जिला नैनीताल।	UK-0420030095260 मोटर साइकिल विद गियर हल्का मोटर वाहन (NT);TRANS TRवैधता 13..10.2023	उपरोक्तानुसार।	हेलमेट का प्रयोग नही।	उपरोक्तानुसार।
9	विजय सिंह पुत्र सुरेश सिंह निवासी जनकाण्डे थाना पाटी जिला चम्पावत।	UK03 20100002896 मोटर साइकिल विद गियार, हल्का मोटर वाहन, (NT) वैधता 10.10.2030	उपरोक्तानुसार।	हेलमेट का प्रयोग नही।	उपरोक्तानुसार।

10	ललित मोहन पुत्र उत्तम सिंह निवासी म.नं .56 ग्राम लड़ी पो0 जनकाण्डे लोहाघाट चम्पावत।	UK0320160033018 मोटर साइकिल विद गियर,हल्का मोटर वाहन(NT); वैधता 14.11. 2036	उपरोक्तानुसार।	हेलमेट का प्रयोग नही।	उपरोक्तानुसार।
11	विजय पत्र दिनेश राम निवासी म.न. 213 क रेलवे वार्ड टनकपुर चम्पावत।	UK-0320160033345 मोटर साइकिल विद गियर, (NT)16.12.2036	उपरोक्तानुसार।	हेलमेट का प्रयोग नही।	23.06.2020 से 22. 09.2020
12	अमित बोरा पुत्र जगत सिंह निवासी वार्ड न 5 टनकपुर जिला चम्पावत।	UK0320190001672मोट रसाइकिल , हल्का मोटर वाहनNT वैधता 17.07.2039	उपरोक्तानुसार।	हेलमेट का प्रयोग नही	उपरोक्तानुसार।
13	रवि कुमार पुत्र राम कुमार निवासी मोहनपुर टनकपुर जिला चम्पावत।	UK-0320100000757 मोटर साइकिल विद गियर हल्का मोटर वाहन NT वैधता 21.04.2030	उपरोक्तानुसार।	हेलमेट का प्रयोग नही।	उपरोक्तानुसार।
14	महेन्द्र सिंह पुत्र नारायण सिंह निवासी ग्राम डुँगरा सेठी थाना व जिला चम्पावत।	UK-0320160028961 मोटर साइकिल विद गियार, हल्का वाहन (NT) वैधता 22. 04.2033	उपरोक्तानुसार।	हेलमेट का प्रयोग नही।	उपरोक्तानुसार।
15	नंदा बल्लभ पुत्र कृष्णानंद निवासी ग्राम जैंतोली पो. व जिला चम्पावत।	UK-0320100002317 मोटर साइकिल विद गियर हल्का वाहन (NT); वैधता 30. 06.2027	उपरोक्तानुसार।	हेलमेट का प्रयोग नही	उपरोक्तानुसार।
16	विनोद सिंह पुत्र होशियार सिंह निवासी ग्राम धामीसौन पो. व जिला चम्पावत।	UK-03201500028150 मोटर साइकिल विद गियर ,हल्का वाहन (NT) वैधता 10.12.2035	उपरोक्तानुसार।	हेलमेट का प्रयोग नही।	उपरोक्तानुसार।
17	विजय सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह निवासी रायकोट कुँवर लोहाघाट चम्पावत।	UK-0320110007281 मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन (NT); वैधता 12.09.2033	उपरोक्तानुसार।	हेलमेट का प्रयोग नही	उपरोक्तानुसार।
18	गोविन्द सिंह पुत्र खड़क सिंह निवासी ग्राम बमडोली पिथौरागढ़।	UK-0419960080732 मोटर साइकिल गियर, हल्का मोटरवाहनNTTRANS, PSV BUS TRवैधत 22.08.2021	उपरोक्तानुसार।	क्षमता से अधिक भार।	उपरोक्तानुसार।
19	दिनेश चंद्र पुनेरा पुत्र स्व. लक्ष्मी कांत पुनेरा निवासी ग्राम पुनेरी महर पो0 व जिला पिथौरागढ़	UK-051993000165 हल्का मोटर वाहन NT TRANS TRवैधता 04.01. 2022	उपरोक्तानुसार।	क्षमता से अधिक भार।	उपरोक्तानुसार।

रश्मि भट्ट,
लाइसेसिंग अथॉरिटी,
टनकपुर चम्पावत।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रप्रयाग

आदेश

20 जुलाई, 2020 ई0

संख्या 135/प्रवर्तन/लाइसेन्स/2020–सर्वोच्च न्यायालय के अधीन गठित सड़क सुरक्षा समिति के सन्दर्भ संख्या 05/2014/सी0ओ0आरएस0–पार्ट–3 दिनांक 18.08.2015 सन्दर्भ संख्या 05/2014/सी0ओ0आर0एस0–पार्ट–3 दिनांक 17.11.2015 के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने के विदित अभियोग में वाहनों के चालान कर वाहन चालकों के लाइसेन्स के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। अतः लाइसेंसधारकों को उक्त सम्बन्ध में सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए एवं दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेन्सिंग अधिकारी रूद्रप्रयाग के रूप में मैं मोहित कुमार कोठारी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी रूद्रप्रयाग मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करतें हुए निम्न चालकों के लाइसेन्स तत्काल प्रभाव से निलंबित करता हूँ। उक्त अवधि में लाइसेंस निलम्बित अवस्था में कार्यालय में जमा रहेगा। उक्त अवधि के पश्चात् लाइसेंस अवमुक्त किया जायेगा :–

क्र0 सं0	चालक का नाम व पता	डी0एल0 संख्या व वैधता	अभियोग	चालानकर्ता प्रवर्तन अधिकारी	निलम्बन अवधि
1.	गौरव सक्सेना पुत्र श्री नाथू सक्सेना पता–171 सादिक नगर गाजियाबाद (उ0प्र0)	1413000520 VALIDITY (T) 07.01.2033	ओवरस्पीड	ARTO RUDRAPRAYAG	20.07.2020 से 19.10.2020

मोहित कुमार कोठारी,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 30 हिन्दी गजट/293–भाग 1–क–2020 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 29 अगस्त, 2020 ई0 (भाद्रपद 07, 1942 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय नगर निगम रूड़की, जिला–हरिद्वार

नगर निगम, रूड़की–प्रस्तावित उपविधि

17 जुलाई, 2020 ई0

पत्रांक 2085/प्रकाशन/स्वा0अनु0/न0नि0रू0/2020-21–- नगर निगम की अधिनियम की धारा ५४१(१)(४२) के एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (१९८६ का २९)) की धारा ३, ६ एवं २५ द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग मे केन्द्र सरकार द्वारा बनायी गयी ठोस कचरा प्रबन्धन नियमावली-२०१६ के नियम १५(ड), १५(च) एवं १५(यच)के अन्तर्गत शक्तियो के प्रयोग में नगर निगम रूडकी द्वारा बनाये गये निम्ननिखित ठोस कचरा प्रबन्धन के लिये उपविधियो को अपने क्षेत्राधिकार मे प्रशासक/जिलाधिकारी हरिद्वार के सम्मुख प्रस्तुत किया गया एवं आपत्ति एव सुझाव हेतु जनमानस के समक्ष आपत्ति/सुझाव हेतु प्राप्त किया जा रहा है, सर्वसाधारण से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी आपत्ति/सुझाव इस प्रस्तावित उपविधि के दैनिक समाचार पत्र (प्रकाशित होने)/नोटिस बोर्ड पर चस्पा होने के ३० दिन के अंतर्गत नगर निगम, रूडकी में दाखिल कर सकते है।

अध्याय-1

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और लागू होने की तिथिः-

(1) ये उप-नियम नगर निगम, रूडकी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उप-नियम, २०१९ कहलायेंगे।

(2) ये उप-नियम नगर निगम, रूडकी के सरकारी गजट उत्तराखण्ड से प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. ये उप-नियम नगर निगम, रूडकी की सीमाओं के भीतर लागू होंगें।

3.परिभाषाएं -

1. जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस उप-नियमों मे निम्नाकित परिभाषाएं लागू हैं : -

क) **"बल्क उद्यान और बागवान कचरा"** का अर्थ है, उद्यानो बागो आदि से उत्सर्जित बल्क कचरा, जिसमे घास कतरन भूसा, खपरतवार, काबर्नायुक्त काष्ठ ब्राऊन सामग्री जैसे पेडो कि छटाई से उत्पन्न कच्चा पेडो कि कटिंग टहिनया, लकडी कि कतरन भूसा सूखी पत्तियां, पेडो की छटाई आदि से ठोस कचरा, जो दैनिक जैव अपघटीय कचरे के संकलन मे समायोजित नही किया जा सकता है।

ख) **"बल्क कचरा उत्सर्जन"** का अर्थ ठोस कचरा प्रबंधन नियम, **२०१६** जिसे बाद मे यहां एस.डब्ल्यू.एम.नियम कहा जायेगा) के नियम ३(१)(८) के अंतर्गत परिभाषित बल्क कचरा उत्सर्जक और सम्बद्ध वार्ड कार्यालय के सहायक आयुक्त या उससे वरिष्ठ अधिकारियो द्वारा अधिसूचित ठोस कचरा उत्सर्जक।

ग) **"संग्रह"** का अर्थ है कचरा उत्सर्जन के स्रोत से ठोस कचरे को उठाना और संग्रहण बिन्दुओ या किसी अन्य स्थान तक पंहुचाना

घ) **समक्ष प्राधिकारी का अर्थ** है कि नगर निगम रूडकी का महापौर अथवा उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति।

ङ) **निर्माण एवं विध्वंस कचरा का वही अर्थ होगा** जो निर्माण एवं विध्वंस कचरा नियम ,२०१६ नियम 3(1)(ग) मे परिभाषित किया गया है।

च) **स्वच्छ क्षेत्र का अर्थ** है किसी परिसर के सामने और चारो ओर या निकटवर्ती फुटपाद तक विस्तारित स्वच्छ , सार्वजनिक स्थल जिसमें नाली फुटपाथ और पटरी क किनारे शामिल हैं , जिनका रखरखाव इन उपनियमा के अन्तर्गत किया जाना है।

छ) **सामुदायिक कूडा घर (ढलाव) का अर्थ** है, नगर निगम रूडकी द्वारा स्थापित और संचालित अथवा एक या एक से परिसरों के मालिको और/या अधिभोगियों के किसी एक परिसर में अथवा समक्ष अधिकारी द्वारा अधिकृत उनके साझा परिसर में पृथ्थकीकृत ठोस कचरे के संग्रहण के लिये स्थापित और संचालित कोई संग्रह केन्द।

ज) **कंटेनराइज्ड हैड कार्ट का अर्थ** है ठोस कचरे के बिन्दु दर बिन्दु संग्रह हेतु नगर निगम रूडकी या उसके द्वारा नियुक्त एजेन्सी/एजेन्ट द्वारा प्रदत्त ठेला।

झ) **सुपुर्दगी-का अर्थ है** किसी भी श्रेणी के ठोस कचरे को नगर निगम रूडकी के वर्कर या ऐसे कचरे की सुपुर्दगी के लिये नगर निगम रूडकी द्वारा नियुक्त, प्राधिकृत या लाईसेंस प्रदत्त व्यक्ति को सौंपना अथवा उसे नगर निगम रूडकी या

नगर निगम रूडकी द्वारा अधिकृत लाईसेंस प्रदत्त एजेंसी द्वारा प्रदान किये गये वाहन मे डालाना।

ञ) **ई-कचरा का अर्थ** वही होगा जो ई-कचरा (प्रबन्धन नियम) ,2016 के नियम 3(1)आर मे निर्दिष्ट किया गया है

ट) **फिक्स्ड कम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन (एफ्सीटीएस)" का अर्थ है,** एक ऊर्जा चालित मशीन जिनका डिजाईन बिखरे हुए कचरे को ठोस कम्पैक्ट करने के लिये किया गया है और प्रचालन के समय स्थिर रहती है प्रचालन के समय कम्पैक्टर मोबाईल भी हो सकती है जिसे मोबाईल ट्रांसफर स्टेशन (एमटीएस) कहा जा सकता है

ठ) **कूडा-कचरा** का अर्थ है, सभी प्रकार का कूडा और उसमें कोई भी ऐसा कचरा पदार्थ जिसे फेकना अथवा संग्रह करना इन उपनियमो के अन्तर्गत प्रतिबंधित है और ऐसा करने से किसी व्यक्ति, जीव जन्तु को परेशानी होने या पर्यावरण अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के प्रति खतरा पंहुचाने की आशंका हो

ड) **गन्दगी फैलाने का अर्थ है** , किसी ऐसी बस्ती मे गन्दगी उत्सर्जित करना , डालना , दबाना अथवा तत्संबंधी अनुमति देना ,जहां वह गिरती, ढलती, बहती ,धुलकर रिसकर अथवा गन्दगी के उत्सर्जित होने बहकर आने धुलकर आने या किसी तरह से खुले या सार्वजनिक स्थल पर आने की आशंका हो

ढ) **स्वामी का अर्थ है** , ऐसा व्यक्ति जो भूमि या किसी भाग के मालिक के रूप में अधिकारी का इस्तेमाल करता हो।

ण) अधिभोगी/पटटेदार का अर्थ है , ऐसा व्यक्ति जो किसी भूमि या भवन उसके किसी हिस्से का अधिभोगी/पटटेदार हो, इसमे ऐसे व्यक्ति भी शामिल है जो तत्समय किसी प्रयोजन के लिये किसी भूमि या किसी भवन या उसके हिस्से का इस्तेमाल कर रहा है

(प) पैलेटाईजेशन का अर्थ है,एक प्रक्रिया जिसमे पैलेट तैयार की जाती है जो ठोस कचरे से बने छोटे क्यूब अथवा सिलिंडरीकल टुकडे होते हैं,और उनके ईंधन पैलेटस भी शामिल होते हैं,जिन्हे रिफ्यूज डेराईब्ड ईंधन कहा जाता है

(फ) निर्धारित का अर्थ है कि,एसडब्ल्यूएम नियमो और/या इन उपनियमो द्वारा निर्धारित

(ब) **सार्वजनिक स्थल का अर्थ है,** कोई ऐसा स्थानए जो आम लोगो के इस्तेमाल और मनोरंजन के लिये सहज सुलभ हैं,भले ही वह वास्तव मे लोगो द्वारा इस्तेमाल या उपभोग किया जा रहा है या नही

त) **संग्रह का अर्थ-** ठोस कचरे को अस्थाई तौर पर इस तरह से संग्रह करना जिससे गन्दगी न फैले और मच्छर आदि कीटों आवारा पशुओं और अत्यधिक बदबू का प्रकोप रोका जा सकें।

थ) **सैनेटरी वर्कर**-का अर्थ हैं , नगर निगम के इलाकों मे ठोस कचरा एकत्र करने या हटाने अथवा नालियो को साफ करने के लिये नगर निगम रूडकी/एजेंसी द्वारा नियोजित व्यक्ति

द) **शेड्यूल** का अर्थ इन उपनियमो के सम्बद्ध शेड्यूंल

ध) **इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभारी**, का अर्थ है, नगर निगम, रूडकी द्वारा समय-समय पर प्राधिकारी के सामान्य या विशेश आदेश के जरिये कचरा उत्सर्जक पर लगाया जा सके शुल्क या प्रभारी, ताकि ठोस कचरा संग्रह ढुलाई प्रोसेसिंग और निपटान सेवाओं की आंशिक अथवा पूर्ण लागत कवर की जा सकें

न) **खाली प्लाट-का अर्थ है**, प्राईवेट पार्टी/व्यक्ति/सरकारी एजेंसी के सम्बद्ध कोई ऐसी भूमि या खुला स्थल, जिस पर किसी का कब्जा न हों

(२). यहा प्रयुक्त लेकिन परिभाषित न किये ग्ये श्ब्दो ओर अभियक्तियो का अर्थ वही होगा जो कचा प्रबंधन नियम-२०१६ ओर निर्माण एंव विध्वंश क्चरा प्रबंधन नियम-२०१६ मे अभिप्रेत होगा।

अध्याय-2

ठोस कचरे का स्रोत पर पृथ्थकीकरण और संग्रहण

4. ठोस कचरे का स्त्रोत पर पृथक्करण और संग्रहण

प) सभी कचरा उत्सर्जको के लिए अनिवार्य होगा कि वे उनके स्वयं के स्थलों से उत्सर्जित होने वाले ठोस कचरे को नियमित रूप से पृथक करें और संगृहीत करें। यह पृथक्करण मुख्य रूप से निम्नांकित ०३ वर्गो मे किया जायेगा।

क.- गैर-जैव अपघटीय या सूखा कचरा

ख- जैव अपघटीय या गीला कचरा

ग- घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा और तीनो श्रोणियो के कचरे को कवर्ड कचरा डिब्बो मे रखा जाएगा तथा समय-समय पर जारी नगर निगम रूडकी के निर्देशों के अनुसार पृथ्थीकृत कचरे को निर्दिष्ट कचरा संग्रहकर्ताओ को सोपेगा।

पप- प्रत्येक बल्क कचरा उत्सर्जक के लिये अनिवार्य होगा कि वह स्वयं के स्थलो पर उत्सर्जित ठोस कचरे को पृथक करें और उसे संगृहीत करें निम्नाकित ०३ वर्गो मे -

क. गैर जैव अपघटीय या खुश्क कचरा

ख जैव अपघटीय या गीला कचरा

ग. उपयुक्त कूडेदानो मे जोखिमपूर्ण कचरा, जैविक गीला कचरो को अपने परिसर मे प्रोसेस कर कम्पोस्ट या बायोगैस आदि तैयार करना एव पृथक्कृत कचरे को अधिकृत कचरा संग्रहण एजेंसी जरिए अधिकृत कचरा प्रसंस्करण अथवा निपटान केन्द्रों या संग्रहण केन्द्रो को सौपेगा और उसके लिए नगर निगम रूडकी द्वारा समय समय पर निर्धारित ढुलाई शुल्को को भुगतान अधिकृत कचरा सग्रह एजेंसी नगर निगम रूडकी को भुगतान करेगा।

पपप)- पृथक किये गये कचरे के संग्रहण के लिए कूडेदानो का रंग इस प्रकार होगा -

हरा- जैव अपघटीय कचरे के लिए

नीला- गैर जैव अपघटीय कचरे या खुश्क कचरे के लिए

काला- घरेलू जोखिम पूर्ण कचरे के लिए

पअ) सभी निवासी और कल्याण बाजार संगठन, नगर निगम रूडकी के भागीदारी से , यह सुनिष्चित करेगे कि उत्सर्जको द्वारा स्त्रोत पर कचरे का पृथक्करण किया जाए पृथक किए गए ठोस कचरे को अलग अलग डिब्बो मे सगृहीत किया जाए और फिर से इस्तेमाल करने वालो को सौपी जाए जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग उपचार और निपटान कम्पोस्टिग अथवा बायो-मिथेनेषन तकनीक के जरिए यथासम्भव के भीतर ही किया जायेगा। इससे बचे कचरे को नगर निगम रूडकी द्वारा निर्देषित कचरा संग्रहकर्ताओ या एजेन्सी को दिया जाएगा।

अ- 5000 वर्गमीटर क्षेत्र से अधिक क्षेत्र कब्जा रखने वाले सभी द्वारबन्द समुदाय तथा संस्थान नगर निगम रूडकी की भागीदारी के साथ सुनिष्चित करेगे कि उत्सर्जको द्वारा कचरे का स्त्रोत पर पृथक्करण हो, पृथक किए गए कचरे को अलग अलग डिब्बो मे रखेगे। और पुन उपयोग मे आने वाली सामग्री को अधिकृत कूडा संग्रहकर्ताओ या अधिकृत पुन इस्तेमाल करने वालो को सौपेगे। जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासम्भव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे हुए कचरे को नगर निगम रूडकी द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओ या एजेन्सी को दिया जायेगा

अप)- सभी होटल और रेस्त्रां , नगर निगम रूडकी के भागीदारी से, कचरे का स्त्रोत पर पृथक्करण सुनिश्चित करेगे, पृथक किये गये ठोस कचरे को अलग अलग डिब्बो मे संग्रहीत करेगे और फिर से इस्तोमाल की जाने वाली सामाग्री अधिकृत संग्रहकर्ताओ अथवा अधिकृत पुन इस्तेमाल करने वालो को सौपेगे जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग उपचार और निपटान कम्पोस्टिग अथवा बायो-मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासम्भव परिसर के भीतर ही किया जाएगा इससे बचे हुए कचरे को नगर निगम रूडकी द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओ या एजेन्सी को दिया जाएगा।

अपप-कोई व्यक्ति गैर लाईसेन्सी स्थान पर कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित नही करेगा जिसमे १०० से अधिक व्यक्ति एकत्र हों, ऐसा करने के लिए यह जरूरी होगा कि अनुसूची मे निर्धारित

इस्तेमालकर्ता शुल्क का भुगतान करते हुए नगर निगम रुडकी को कम से कम ०३ कार्यदिवस अग्रिम लिखित जानकारी देनी होगी और ऐसा व्यक्ति या आयोजक यह सुनिश्चित करेगा कि ठोस कचरे को स्त्रोत पर अलग अलग किया जाए ताकि नगर निगम रुडकी द्वारा निर्धारित संग्रहकर्ता या एजेन्सी को सौपा जा सके।

अपप)- सेनिटरी उत्पादो से उत्सर्जित कचरे को तत्सम्बन्धी विनिर्माताओ या ब्राण्ड मालिको द्वारा प्रदान किये गऐ पाउचो अथवा अखबारो का उपयुक्त जैव अपघटीय संलेपन सामाग्री मे सुरक्षित तरीक से सलेपित किया जाए और उसे गैर जैव अपघटीय या खुश्क कचरे के लिए बनाए गए कूडेदान मे रखा जाना चाहिए।

पग)- प्रत्येक खाली विक्रेता अपने क्रियाकलाप के दौरान उत्सर्जित होने वाली खा
द्य सामग्री निपटान योग्य पलेटे कप डिब्बे रैपर्स नारियल के खोल बचा कुचा भोजन सब्जिया फल आदि को अलग अलग करके उपयुक्त कूडेदानो मे संग्रहीत करेगा और उसे नगर निगम रुडकी द्वारा अधिसूचित डिपो या कन्टेनर या वाहन को सौपेगा।

ग)- उद्यान या बागवानी के कचरा उत्सर्जिक अपने परिसर मे उत्सर्जित कचरे को अलग से एकत्र करेगे और समय समय पर नगर निगम रुडकी के निर्देशो के अनुसार उसका निपटान करेगे।

गप)- घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे को प्रत्येक कचरा उत्सर्जक द्वारा स्टोर किया जायेगा और उसे नगर निगम रुडकी या उसके द्वारा अथवा उत्तराखण्ड सरकार सर प्रदूशण नियन्त्रण समिति द्वारा ऐसे कचरे का संग्रह के लिए साप्ताहिक/समय समय पर उपलब्ध कराए गए वाहन तक एक पंहुचाया जाएगा अथवा ऐसे कचरे को उत्तराखण्ड सराकार या राज्य प्रदूशण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित तरीके से निपटान के लिए निर्दिष्ट कचरा संग्रह केन्द्र तक पंहुचाया जाएगा।

गपप)- निर्माण कार्यो और भवनो को ढहाए जाने से उत्सर्जित कचरा, निर्माण एव विध्वंस कचरा प्रबन्धन नियम-२०१६ के अनुसार अलग से एकत्र और निपटान किया जाएगा।

गपपप)- बायो मेडिकल कचरा, ई कचरा, जोखिमपूर्ण रासायनिक एवं औद्योगिक कचरा बिना उपचारित किए गए ठोस कचरे मे निर्मित नही किया जायेगा ऐसे कचरे का निपटान पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-१९८६ के अन्तर्गत बनाए गए तत्सम्बन्धी नियमो के अनुसार किया जाएगा।

गपअ)- निर्दिष्ट बूचडखानो और बाजारो को छोडकर अन्य परिसरो के प्रत्येक ऐसे मालिक/सब्जीधारी जो किसी वाणिज्यिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप पौल्ट्री मच्छली और पषुवध सम्बन्धी कचरा उत्सर्जित करते हो ऐसे कचरे को अलग से बन्द कन्टेर मे स्वास्थ्यकर स्थिति मे एकत्र करना होगा और रोजमर्रा के आधार पर निर्दिष्ट समयानुसार नगर निगम रुडकी द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए कचरा वाहन/स्थल तक पंहुचाना होगा ऐसे कचरे को सामुदायिक कूडा घरो मे डालना निशेध होगा।

गअ)- पृथक किये गये जैव अपघटीय ठोस कचरे को यदि उत्सर्जको द्वारा कम्पोस्ट न किया गया हो तो उसे उन्हे अपने परिसर मे अलग से एकत्र करना होगा और उसकी डिलिवरी

नगर निगम रूडकी के श्रमिक/वाहन/कचरा एकत्रकर्ता/कचरा संग्रहकर्ता अथवा बल्क में जैव अपघटीय कचरा उत्सर्जित करने वाले निर्दिष्ट वाणिज्यिक उत्सर्जको के लिए प्रदान कराए गए कचरा संग्रह वाहन तक पहुचाया जाएगा। यह सुपुर्दगी समय समय पर अधिसूचित समयानुसार करनी होगी।

अध्याय–3

ठोस कचरा संग्रह

5. ठोस कचरे का संग्रह निम्नलिखित अनुसार किया जाएगा-

प- नगर निगम रूडकी के सभी क्षेत्रो या वार्डो मे पृथक किए गए ठोस कचरे को घर घर जाकर संग्रह करने के बारे मे एस.डब्ल्यू.एम. नियमो का अनुपालन किया जायेगा, जिनके अनुसार मालिन और अनौपचारिक बस्तियो सहित दैनिक आधार पर प्रत्येक घर से दैनिक कचरा एकत्र किया जाएगा। इसके लिए घर घर जाकर कचरा एकत्र करने की अनौपचारिक प्रणाली को नगर निगम रूडकी संग्रह प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा।

पप- प्रत्येक घर से कचरा एकत्र करने के लिए क्षेत्रवार विषेश समय निर्धारित किया जाएगा और उसे सम्बद्ध क्षेत्र मे खास खास स्थानो पर प्रचारित किया जाएगा और नगर निगम रूडकी वेबसाइट पर प्रदर्षित किया जाएगा। घर घर जाकर कचरा एकत्र करने का समय प्रातः 06 बजे से 11 बजे तक निर्धारित किया जाएगा व्यापारिक प्रतिष्ठानो वाणिज्यिक क्षेत्रो मे दुकानो या किसी अन्य संस्थागत कचरा उत्सर्जको से कचरा एकत्र करने का समय प्रातः 07 बजे से दोहपर 12 बजे तक होगा अथवा नगर निगम रूडकी द्वारा समय समय पर निर्धारित समय पर होगा।

पपप-कचरे को स्व-प्रोसेस करने वाले बल्क कचरा उत्सर्जको से अवशिष्ट ठोस कचरे को एकत्र करने का प्रबन्ध किए जाऐगे।

अप-सब्जी फल फूल मांस पोल्ट्री और मच्छली बाजार से अवशिष्ट ठोस कचरे को रोजमर्रा के आधार पर एकत्र किया जाएगा।

अ- बागवानी और उद्यान सम्बन्धी कचरा अलग से एकत्र किया जाएगा और उसका निपटान किया जायेगा। इस प्रायोजन के लिये सप्ताह मे एक या दो दिन निर्दिष्ट किए जाएगे।

अप- फलो और सब्जी बाजारो मास और मच्छली बाजारो बल्क बागवानी और उद्यानो से उत्सर्जित जैव अपघटीय कचरे का अनुकूलतम इस्तेमाल करने और संग्रहण एव ढुलाई की लागत मे कमी लाने के लिए ऐसे कचरे को उस क्षेत्र के भीतर प्रोसेस या उपचारित किया जाएगा जिसमे वह उत्सर्जित होता है

(अपप)- कन्टेनरो मे कचरे का हाथ से परिचलन निषेध है। यदि दबावो के कारण अपरिहार्य हो तो कचरे का हाथ से निपटान श्रमिको की उचित देखभाल और सुरक्षा के साथ सुनिश्चित संरक्षण के तहत किया जाएगा।

(अपपप)-कचरा उत्सर्जक अपने पृथक किए गए कचरे को नगर निगम रूडकी द्वारा अथवा अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा तैनात होपर/ऑटो-टिप्पर/रिक्शा आदिन वाहनो मे डालने के लिय जिम्मेदार होगे। बहुमन्जिला इमारतो, अपार्टमेन्टो, आवास,परिसरो (इन उपनियमो के खण्ड 4 व उप-खण्ड (**पअ** व **अ**) के अन्तर्गत आने वाले को छोडकर) से उत्सर्जित पृथक किए गए कचरे को ऐसे परिसरो के मुख्य द्वार से अथवा किसी अन्य निर्दिष्ट स्थान से एकत्र किया जाएगा।

पग)-कचरा संग्रह उपकरणो और वाहनो के चयन के लिए बदलती जरूरतो और प्रौद्योगिकी मे नयी खोजो को ध्यान मे रखा जाएगा। कचरा एकत्र करने के लिए विशेष-क्षमता वाले ऐसे ऑटो टिप्पर या वाहन इस्तेमाल किए जाएगे। जो उपर से हाईड्रलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्थता से युक्त होगे। और उनमे जैव अपघटीय और गैर जैव अपघटीय कचरे के लिए अलग अलग दो कम्पार्टमेन्ट होगे। ऐसे वाहनो पर हूटर भी लगा होगा।

ग)-स्वचालित ध्वनि रिकार्डिड उपकरण, घण्टी या शोर के स्वीकार्य स्तर तक सीमित हार्न भी कचरा संग्रह वाहन मे कचरा संग्रहकर्ताओ द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा।

गप)-प्रत्येक प्राथमिक संग्रहण तथा ढुलाई वाहन के लिए मार्ग योजनाए और नगर निगम रूडकी द्वारा अधिसूचित अधिकृत संग्रहकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा ये योजनाए तालिकाबद्ध और जीआईएस मानचित्र मे होगी। जो नगर निगम रूडकी द्वारा विधिवत रूप् से अनुमोदित होगी और उनमे प्रारम्भिक बिन्दु प्रारम्भ करने का समय प्रतिक्षा स्थलो मार्ग मे रूकने का समय अन्तिम बिन्दु और निर्दिष्ट मार्ग के अन्तिम सयम का उल्लेख होगा नगर निगम रूडकी अथवा अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा प्रत्येक गली मे एक बोर्ड लगाया जाएगा जिस पर प्राथमिक कचरा संग्रह और ढुलाई वाहनो की समय सारणी पर प्रदर्षित की जायेगी। ताकि क्षेत्र के निवासी निर्धारित समय पर इस सुविधा का लाभ उठा सके। ऐसी जानकारी नगर निगम रूडकी की वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी।

गपप)-तंग गलियो मे जहां ऑटो-टिप्पर या वाहन की सेवाए सम्भव न हो वहा एक थ्रीव्हीलर अथवा छोटे मोटर युक्त वाहन/साईकिल रिक्सा का काम पर लगाया जाएगा जो ऊपर से हाईड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होगा और उसमे गीले और सूखे कचरे के लिए अलग अलग कम्पार्टमेन्ट होगे ऐसे वाहनो मे हूटर लगा होगा और वे मोबाईल ट्रांस्फर स्टेशन के अनुकूल होगा।

गपपप- अत्यन्त भीड भाड वाले और अधिक तंग गलियो वाले क्षेत्रो मे जहां थ्रीव्हीलर या छोटे वाहन भी न जा सके वहां साईकिल रिक्सा अथवा अन्य प्रकार के उपयुक्त उपरकण तैनात किए जाएगे

गपअ-ऐसी छोटी, तंग और भीडी गलियो/लेनो मे जहाँ थ्रीव्हीलहर/रिक्षा आदि का संचालन सम्भव न हो ऐसे स्थानो पर बस्ती/गलि के छोर पर खास जगह तय की जाएगी जहा कचरा संग्रह वाहन खडा किया जा सके। और वाहन के हेल्पर के पास एक सीटी होगी और वे सीटी बजाते हुए गली मे ठोस कचरा संग्रहण के लिए वाहन के आगमन की घोषणा करेगे। इस तरह की संग्रह प्रणाली की समय सारणी नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी और नगर निगम रूडकी की वेबसाईट पर अपलोड की जायेगी।

गअ- ऑटो टिप्पर, थ्रीव्हीलर्स, रिक्षा और सेवा मे सलग्न किसी अन्य तरह के वाहन केवल घरो से कचरा एकत्र करेगे, और अन्य स्रोतो जैसे ढलाव, खुले स्थानो, मैदानो, कुडेदानो और नालियो आदि से कचरा एकत्र नही करेगे।

गपअ- नगर निगम रूडकी या उसके अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहर्ता प्राथमिक कचरा संग्रहण के लिए क्षेत्र की सभी गलियो/लेनो को कवर करने के लिए जिम्मेदार होगे।

अध्याय-4
ठोस कचरे का द्वितीयक संग्रहण

6. द्वितीयक संग्रहण बिन्दुओ मे ठोस कचरे का संग्रहण निम्नाकित अनुसार किया जाएगा-

प- घरो मे एकत्र किया गया पृथक ठोस कचरा, कचरा स्टोरेज डिपो ,सामुदायिक कूडा घरो या अचल या चल अन्तल स्थलो या कचरे द्वितीयक संग्रहण के लिए नगर निगम रूडकी द्वारा निर्दिष्ट स्थानो पर ले जाया जाएगा।

पप- ऐसे द्वितीयक संग्रहण बिन्दुओ को कन्टेनरो को (निर्दिष्ट रंग के) से कवर किया जाएगा , जिनमे निम्नाकित के लिए अलग अलग स्टोरेज होगे।

क- गैर जैव अपघटीय अथवा सूखा कचरा

ख- जैव अपघटीय अथवा गीला कचरा

ग- घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा

पपप- पृथक किय गए कचरे के संग्रहण के लिए नगर निगम रूडकी द्वारा चिन्हित अलग अलग कन्टेनरो का इस्तेमाल निम्नाकित अनुसार किया जाएगा।

- हरा: जैव अपघटीय कचरे के लिए
- गैर: जैव अपघटीय कचरे के लिए
- काला: घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए

नगर निगम रूडकी समय समय पर विभिन्न प्रकार के ठोस कचरे के संग्रहण और वितरण के लिए निर्धारित गोदामो की रंगन्हीता और अन्य मानदण्ड अधिसूचित करेगी।

ताकि कचरे का सुगम और सुरक्षित सग्रहण हो सके और किसी प्रकार का मिश्रण या रिसाव न हो जिनका अनुपालन विभिन्न प्रकार के ठोस कचरा उत्सर्जको को करना होगा ।

पअ- नगर निगम रूडकी स्वयं अथवा बाहरी एजेन्सियो के जरिय ठोस कचरा संग्रहण केन्द्रो का संचालन इस ढंग से करेगी कि उनके आस पास अस्वाथ्यकर और अस्वच्छ स्थितिया पैदा न हो

अ- द्वितीयक संग्रहण डीपुओ मे विभिन्न प्रकार के कन्टेनर नगर निगम रूडकी या किन्ही अन्य निर्दिष्ट एजेन्सियो द्वारा प्रदान किये जाएगे जो इस उपनियमो मे वर्णित अनुसार अलग-अलग रंगो के होगे

अप- संग्रहण केन्द्रे का निर्माण और स्थापना इस बात को ध्यान मे रखकर की जाएगी कि किसी निर्दिष्ट क्षेत्र मे कचरे के उत्सर्जन की मात्रा कितनी है और जनसंख्या का घनत्व कितना है ?

अपप-संग्रहण केन्द्र इस्तेमालकर्ता अनुकूल होगे और उनके डिजाईन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि उनसे कचरा ढका रहे। और संग्रहण किए गए कचरे का खुले वातावरण मे दुषप्रभाव न पडे।

अपपप- सभी आवास सहकारी समितियो, एसोसिएशनो, रिहायशी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानो और द्वारबन्द समुदायो का यह दायित्व होगा कि वे इन उपनियमो द्वारा निर्धारित रंगीन कूडेदान रखे और स्वयं के परिसरो मे समुचित स्थानो पर पर्याप्त संख्या मे ऐसे कन्टेनर रखे ताकि वहा हर रोज उत्सर्जित कचरा ढंग से संगृहीत किया जा सके।

पग- नगर निगम रूडकी या उसकी कोई निर्दिष्ट एजेन्सी का यह दायित्व होगा कि वे साप्ताहिक आधार सभी कूडाघरो के धुलाई और संक्रमणमुक्त बनाने की व्यवस्था करे।

ग- सूखे कचरे (गैर-जैव अपघटीय कचरा) के लिए रीसाईकलिंग सेन्टर

क-नगर निगम रूडकी अपने वर्तमान ढलावो अथवा पहचान किये गए खास स्थानो को आवश्यकतानुसार रिसाईकलिंग केन्द्रो के रूप मे परिवर्तित करेगा जिनका इस्तेमाल गलिया/घर-घर जाकर कचरा एकत्र करने सम्बन्धी सेवा के जरिए एकत्र किए गए सूखे कचरे को पृथक करने के लिए किया जाएगा। प्राप्त सूखे कचरे की मात्रा के अनुसार रीसाईकलिग केन्द्रो की संख्या बढाई जा सकती है।

ख- गली/घर-घर जाकर कचरा संग्रहण प्रणाली के जरिए और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानो से प्राप्त केवल सूखा कचरा (गैर -जैव अपघटीय) इन निर्दिष्ट रीसाईकलिंग केन्द्रो को स्थानानतरित किया जाएगा। ये निर्दिष्ट केन्द्र केवल सूखा कचरा प्राप्त करेगे।

ग-परिवारो के लिए प्रावधान भी होगा कि वे अपना रीसाईकलिग योग्य सूखा कचरा इन रीसाइकलिंग केन्द्रो पर सीधे जमा करा सकते है अथवा अधिकृत एजेन्टो और/या नगर निगम रूडकी से अधिकृत कचरा व्यापारियो को पूर्व अधिसूचित दरो के अनुसार बेच सकते है

इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक रीसाइकलिंग यूनिट पर एक धर्मकांटा और काउंटर उपलब्ध कराया जाएगा। अधिकृत एजेन्ट और/या अधिकृत कचरा व्यापारी को इस बात की अनुमति होगी कि वे रीसाईकलिंग योग्य कचरे को एसडब्ल्यूएम नियमो के प्रावधानो के अनुसार द्वितीयक बाजार

अथवा रीसाईकलिंग यूनिटो को बेच सकते है। अधिकृत एजेन्ट और/या अधिकृत व्यापारी से प्राप्त धनराशि रखने के हकदार होगे।

गप- <u>निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए संग्रहण केन्द्र -</u>

क- घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के संग्रह के लिए एक संग्रहण केन्द्र उपयुक्त स्थान पर स्थापित किया जायेगा , जहां निर्दिष्ट जोखिमपूर्ण कचरे को प्राप्त किया जाएगा ऐसा सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशो के अनुसार यथासम्भव प्रत्येक वार्ड मे स्थापित किया जाएगा और उसे कचरा प्राप्त करने का समय अधिसूचित करना होगा।
ख-नगर निगम रूडकी अपनी ऐजन्सी को या छूटग्राही को यह दायित्व सौंपा जा सकता है कि वह सभी कचरा उत्सर्जको से घरेलू जाखिम कचरा पृथककृत तरीके से एकत्र करें।
ग-इस तरह प्राप्त किया गया कचरा सरकार द्वारा स्थापित जोखिमपूर्ण कचरा निपटान केन्द्रो पर अलग से लाया जायेगा।

अध्याय-5
ठोस कचरे की ढुलाई

7. ठोस कचरे की ढुलाई निम्नांकित बातो को ध्यान मे रखकर की जायेगी:-

प) कचरे की ढुलाई के लिए प्रयुक्त वाहन भलिभाति कवर्ड होगें ताकि एकत्र कचरे का दुष्प्रभाव मुक्त वातावरण पर न पडे। इन वाहनो मे कम्पैक्टर और मोबाईल ट्रांसफर स्टेशन शामिल हो सकते है, जो नगर निगम रूडकी द्वारा चुनी गई प्रौद्योगिकी पर निर्भर करेंगे।
पप-नगर निगम रूडकी द्वारा स्थापित संग्रहण केन्द्र कचरे के निपटान के लिए हर रोज काम करेगे। कूडेदान या कन्टेनरो के आस पास के क्षेत्र को रखा जाएगा।

पपप- आवासीय और अन्य क्षेत्रो से एकत्र किया गया पृथकीकृत जैव अपघटीय कचरा प्रोसेसिंग प्लांटो जैसे कम्पोस्ट प्लांट, बायो-मिथिनेशन प्लांट या अन्य केन्द्र तक कवर्ड तरीके से पंहुचाया जाएगा।
पअ- जहां कही प्रयोज्य हो,जैव अपघटीय कचरे के लिए,कचरे की स्व-स्थाने प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी।

अ-एकत्र किया गया गैर-जैव अपघटीय कचरा सम्बद्ध प्रोसेसिंग केन्द्रो अथवा दिव्तीयक संग्रहण मे पहुचाया जायेगा।

अप- निर्माण और विध्वंस अन्य कचरे की ढुलाई निर्माण एव विध्वंस कचरा प्रबन्धन नियम-२०१६ के प्रावधानो के अनुसार की जायेगी।

अपप- नगर निगम रूडकी कचरे की समुचित ढंग से ढुलाई प्रबन्ध करेगा। गलियो को बुहारन से उत्पन्न कचरा और नालियो से निकाली गयी गाद काम समाप्त होने के तत्काल बाद हटाई जायेगी।

अपपप- ढुलाई वाहनो का डिजाइन इस तरह से तैयार किया जायेगा कि अन्तिम निपटारे से पहले कचरे के बार बार परिचालन से बचाया जा सकें

पग-कचरा संग्रहण के लिए काम मे लगाए गए वाहन कचरे को केवल एमटीएस अथवा एफसीटीएस, जहां कही प्रदान किए गए हों, मे जमा/स्थानांतरित करेगें।

ग-यदि किसी कारणवशं एमटीएस/एफसीटीएस निर्दिष्ट स्थल पर खडे नही पाए जाएगें, तो लदा वाहन एमटीएस अथवा एफसीटीएस के अगले निर्दिष्ट स्थल अथवा कचरे को उतारने के लिए नगर निगम रूडकी द्वारा निर्दिष्ट स्थल तक जाएगा।

गप-फिक्स्ड कम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेश्न को हूक लोडर के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा।

गपप- कचरे की ढुलाई के दौरान विभिन्न स्त्रोतों से उत्सर्जित कचरे का परस्पर मिश्रण नही होना चाहिए

गपअ-कचरे की गली स्तरीय संग्रहण और ढुलाई सेवाए अवकाश के दिनो सहित हर दिन उपलब्ध कराई जाएगी।

(गअ)- इस सेवा मे संलग्न एमटीएस केवल गली स्तरीय प्रचालनो से कचरा संगह करने वाले निर्दिष्ट आटो-टिप्परो, तिपहिया या अन्य वाहनो/कूडादनो से कचरा प्राप्त करेगा।

गअप)- परिवारो और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से गली स्तरीय और घर घर जाकर ठोस कचरा संग्रह करने मे लगे आटो-टिप्परो, तिपहिया वाहनो, रिक्षा आदि से
कचरा प्राप्त करने के लिए एक अनुमोदित रूट प्लान के अनुसार निर्दिष्ट स्थानो पर प्रतिबद्ध एमटीएस तैनात किए जाएगे।

गअपप)- एमटीएस और एफसीटीएस का डिजाइन ऐसा होगा , जो कचरे को प्राथमिक संग्रहण वाहनो से उतारने मे कम से कम समय लें और कूडा करकट इधर-उधर न फैंले

गअपपप)-ठोस कचरे को स्थानांतरित करते समय एफसीटीएस क इर्द गिर्द रिसे हुए कचरे को साफ किया जाना चाहिए, ताकि कोई रिसाव न बचे। ऐसे स्थान पर सफाई प्रक्रिया पूरी होने के बाद संक्रमण विरोधी पदार्थ इस्तेमाल किए जाने चाहिये।

गअग)- नगर निगम रूडकी अथवा उसकी निर्दिष्ट एजेन्सी सभी द्वितीयक संगहण केन्द्रो पर सीसीटीवी कैमरे लगाएगी।

अध्याय-6
ठोस कचरे की प्रोसेसिंग

8 ठोस कचरे की प्रोसेसिंगः-

प)-नगर निगम रूडकी ठोस कचरा प्रोसेसिंग केन्द्रो और ढांचे के निर्माण, प्रचालन और रखरखाव की स्वयं व्यवस्था करेगा अथवा किसी एजेन्सी के द्वारा इस कार्य को अन्जाम देगा, ताकि ठोस कचरे के विभिन्न्न घटकों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके। इसके लिए निम्नाकित प्रौद्योगिकी अपनाई जायेगी और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशो और केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको का अनुपालन किया जाएगा:-

क)- ढुलाई की लागत और पर्यावरणीय दुषप्रभावो को निम्नवत् रखने के लिए विकेन्द्रीयकृत प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी, जैसे बायो-मिथिनेशन, माईक्रोवियल कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्ट, एनायरोबिक डाइजेशन अथवा जैव अपघटीय कचरे की जैव-स्थिरता के लिए कोई अन्य उपयुक्त प्रोसेसिंग पद्धति:

ख)-केन्द्रीय स्थलो पर स्थित मध्यम/बडे कम्पोस्टिंग/बायो-मिथेनेशन प्लांटो के जरिए।

ग)-कचरे से ऊर्जा प्रक्रियाओ के जरिए, ठोस कचरा आधारित बिजली संयत्रो को कचरे के ज्वलनशील अन्श के लिए रिफ्यूज डेराइव्य ईधन के रूप में अथवा फीड स्टोक आपूर्ति के रूप मे ईधन प्राप्त करते हुए।

घ)-निर्माण और विध्वंस कचरा प्रबन्धन प्लांटो के जरिए।

पप- नगर निगम रूडकी रिफ्यूज डेराइव्य फ्यूल आरडीएफ की खपत के लिए बाजार सृजित करने का प्रयास करेगा।

पपप-कचरे से बिजली बनाने वाले प्लांट में सीधे भस्मीकरण के लिए कचरे का पूर्ण पृथक्करण अनिवार्य होगा और ऐसा करना सम्बद्ध अनुबन्धो की कार्यशर्तो का हिस्सा होगा।

पअ-नगर निगम रूडकी सुनिश्चित करेगा कि कागज, प्लास्टिक, धातु, काँच , कपडा आदि रिसाइकिल योग्य पदार्थ रिसाइकिल करने वाली अधिकृत एजेन्सियों को भेजा जाए।

9. ठोस कचरे की प्रोसेसिंग के लिए अन्य दिशा-निर्देश-

प) नगर निगम रूड़की सभी निवासी कल्याण संगठनों समूह आवास समितियों बाजारों, द्वारबंद समुदायों और 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र रखने वाले संस्थानों, सभी होटलो एवं रेस्त्राओं, बैंक्वेट हालों और इस तरह के अन्य स्थलों पर यथासंभव कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन के जरिए जैव अपघटीय कचरे वाले अन्य कचरा उत्सर्जकों को भी जैव अपघटीय कचरे की स्व-स्थाने प्रोसेसिंग को वरियता दी जाएगी।

पप) नगर निगम रूड़की यह नियम प्रवृत्त करेगा कि सब्जीए फल, मांस, पोल्ट्री और मछली व्यापार मंडियां अपने जैव अपघटिय कचरे की प्रोसेसिंग करते समय स्वच्छ स्थितियां बनाए रखना सुनिश्चित करें।

पपप) नगर निगम रूड़की यह नियम प्रवृत्त करेगा कि बागवानी, उद्यानों और पार्को से उत्सर्जित कचरे का निपटान अलग से यथासंभव पार्को और उद्यानों में ही किया जाए।

पअ) नगर निगम रूड़की कचरा प्रबंधन में समुदाय को शामिल करने और घर पर ही कम्पोस्टिंग, बायो गैस उत्पादन, समुदायिक स्तर पर कचरे की विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को प्रोत्साहित करेगा। परन्तु ऐसा करते समय बदबू को नियंत्रित रखना और तत्संबंधी यूनिट के आसपास स्वच्छता स्थितियां बनाए रखना अनिवार्य होगा।

अध्याय-7

ठोस कचरे का निपटान

10. ठोस कचरे का निपटान

नगर निगम रूड़की अवशिष्ट कचरे और गलियों में झाड़ू लगाने से उत्सर्जित कचरे तथा नालियों से निकलने वाली गाद का निपटान एसडब्ल्यूएम नियमों के अंतर्गत निर्धारित ढंग और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून द्वारा लागू किए गए किसी अन्य दायित्व और अनुरूप करने के लिए स्वयं अथवा किसी अन्य एजेंसी के जरिए सेनिटरी लैडफिल और सम्बद्ध् ढाचे का निर्माण , प्रचालन और रख-रखाव करेगा।

अध्याय-8

इस्तेमालकर्ता शुल्क और स्थल पर ही जुर्माना/दंड लगाना

11. ठोस कचरे का संग्रहण, ढुलाई, निपटान के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्कः-

क) कचरा उत्सर्जकों से कचरा संग्रहण, ढुलाई और निपटान हेतु सेवाएं प्रदान करने के लिए नगर निगम रूड़की द्वारा इस्तेमालकर्ता शुल्क निर्धारित किया जाएगा। इस्तेमालकर्ता शुल्क की दरें अनुसूची-1 में निर्दिष्ट है।

ख) कचरा उत्सर्जको से निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली नगर निगम रूड़की अथवा मेयर/नगर निगम रूड़की द्वारा अधिकृत एजेंसी या अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

ग) नगर निगम रूड़की इन उपनियमों की अधिसूचना की तारीख से ०३ माह के भीतर, इस्तेमालकर्ता शुल्क लगाने के प्रयोजन के लिए कचरा उत्सर्जन का डाटाबेस तैयार करेगा और इस्तेमालकर्ता शुल्क की बिलिंग/संग्रह/वसूली के लिए समुचित व्यवस्था विकसित करेगा। डाटाबेस को नियमित रूप से अद्यतन बनाया जाएगा।

घ) नगर निगम रूड़की ओन्लाइन भुगतान के सहित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली के लिए विभिन्न पद्वतियां अपनाएगा।

ड) इस्तेमालकर्ता वसूली के लिए महीने में विषेश दिन निर्धारित किए जाएंगें, जिसमें प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह को वरीयता दी जाएगी।

च) वार्षिक और छमाही भुगतान की प्रणाली अपनाई जाएगी। यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क समूचे वर्ष के लिए अग्रिम अदा किया जाता है, तो ऐसे में 12 महीने के बजाए 10 महीने का शुल्क लिया जाएगा। इसी प्रकार यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली का भुगतान 6 महीने के लिए किया जाता है तो शुल्क की मांग की राशि छह महीने के बजाये साढे पांच महीने के लिए वसूल की जाएगी।

छ) अनुसूची 1 में वर्णित इस्तेमालकर्ता शुल्क प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 10 प्रतिषत बढ जाएगा।

ज) इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक सामान्य या विशेष आदेश के जरिए अधिकृत संस्थान/व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

झ) इस्तेमालकर्ता शुल्क के भुगतान में चूक होने के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा चूककर्ता से उसकी वसूली भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूल की जायेगी।

12. एसडब्ल्यूएम नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना/दंडः-

क) एसडब्ल्यूएम नियमो अथवा इन उप-नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन अथवा अनुपालन करने में विफलता के लिए इन उप-नियमों के परिशिष्ट में दी गई अनुसूची ०२ में वर्णित अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।

ख) उपरोक्त खंड (क) में वर्णित अनुसार उल्लंघन या गैर-अनुपालन की स्थिति बार-बार आने पर ऐसी प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना प्रतिदिन या महीना, जो भी लागू हो, के अनुसार लगाया जाएगा।

ग) जुर्माना या दंड लगाने हेतु निर्दिष्ट/प्राधिकृत अधिकारी नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त , सहायक नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त, मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी, कर निरीक्षक, सब इन्स्पेक्टर चैकी, थाना प्रभारी होगें तथा जिला मजिस्ट्रेट एवं महापौर सामान्य या विषेश आदेश के अधीन अन्य अधिकारियों को भी नामित कर सकते है। जुर्माना/दंड राशि अनुसूचि ०२ मे दी गई है।

घ) अनुसूची ०२ में वर्णित जुर्माना अथवा दंड राशि प्रत्येक प्रति वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 5 प्रतिशत बढ जाएगी।

ड) निर्दिष्ट/प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जुर्माना मौके पर लगाया और वसूल किया जाएगा। जुमाने का भुगतान मौके पर जमा न करने में उक्त धनराशि भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूल की जायेगी एवं मामले में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित अभियोजन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

अध्याय-9

प्रतिभागियों के दायित्व

13. कचरा उत्सर्जको के दायित्वः-

(प) कूडा फेकने की पाबंदी

क) किसी सार्वजनिक स्थल पर कूडा फैलाना: अधिकृत सार्वजनिक या निजी कूडादानों के सिवाय कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थल पर कूडा नहीं फैलाएगा। कोई व्यक्ति विशेष प्रयोजन के लिए प्रावधान किए गए सार्वजनिक केंद्रों या सुविधाओं को छोडकर किसी सार्वजनिक स्थल पर वाहनों की मरम्मत, बर्तन या कोई अन्य उपकरण धोने/साफ करने का काम नही करेगा या किसी प्रकार का संग्रहण नहीं करेगा।

ख) किसी संपत्ति पर कूडा फैलाना: अधिकृत निजी अथवा सार्वजनिक कूडेदानों के सिवाय कोई व्यक्ति किसी मुक्त या रिक्त संपत्ति पर कूडा नही डालेगा।

ग) वाहनों से कूडा फेकना: किसी वाहन के ड्राइवर या यात्री के रूप में कोई व्यक्ति किसी गली, सडक, फुटपाथ, खेल के मैदान, उद्यान, ट्रेफिक आइलैड या अन्य सार्वजनिक स्थान पर कूडा नहीं फेकेगा।

घ) मालवाहक वाहन से गंदगी डालना: कोई भी व्यक्ति तब तक किसी ट्रक या अन्य मालवाहक वाहन को नहीं चलाएगा, जब तक किसी ऐसे वाहन का निर्माण और लदान इस प्रयोजन के लिए अधिकृत न किया गया हो ताकि सड़क,फुटपाथ,खेल के मैदान,उद्यान, ट्रेफिक आइलैड या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर कोई लोडए पदार्थ अथवा गंदगी डालने से रोका जा सके।

ड) स्वयं/पालतू पशुओं से गंदगी: कुत्ता, बिल्ली आदि पालतू जानवरों के मालिको का यह भी दायित्व होगा कि गली अथवा किसी सार्वजनिक स्थल पर ऐसे जानवरो द्वारा

उत्सर्जित किसी प्रकार की गंदगी को तत्काल उठाएगा/साफ करेगा और इस तरह के उत्सर्जित कचरे से समुचित निपटान के लिए समुचित उपाय करेगा , जिनमें स्वयं की सीवेज प्रणाली से निपटाने को वरियता दी जाएगी।

च) नालियों आदि में कचरे का निपटान: कोई व्यक्ति किसी नाली/नदी/खुले तालाब/जल निकायों में गंदगी नहीं डालेगा।

पप) कचरे को जलाना: सार्वजनिक स्थानों पर या निजी स्थान पर निषेध सार्वजनिक संपत्ति पर ठोस कचरे के किसी भी प्रकार के जलाने द्वारा निपटान निशिद्व होगा।

पपप) "स्वच्छ क्षेत्र" प्रत्येक व्यक्ति यह प्रयास करेगा कि उसके स्वामित्व या कब्जे वाले परिसर के सामने कोई भी सार्वजनिक स्थान अथवा आस पास का क्षेत्र स्वच्छ रहें। इन स्थानों में फुटपाथ और खुली नालियां/गटर , सडक किनारा शामिल है, जो किसी भी तरह ठोस या तरल कचरे से मुक्त होने चाहिए ।

पअ) सार्वजनिक सभाओं और किसी कारण (जुलूस, प्रर्दशनियां,सर्कस, मेले,राजनैतिक रैलियां,वाणिज्यक,धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रर्दशनों और प्रर्दशनों आदि सहित) से सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों के आयोजनकर्ता का यह दायित्व होगा कि वह उस क्षेत्र और आस-पास के क्षेत्रों की स्वच्छता सुनिश्चित करें।

अ) ऐसे आयोजनों के मामले में आयोजक से नगर निगम रूड़की द्वारा अधिसूचित रिफंड योग्य स्वच्छता धरोहर राशि सम्बद्व जोनल अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाएगी, जो कार्यक्रम की अवधि में उसके पास जमा रहेगी। यह जमा राशि कार्यक्रम पूरा होने के बाद रिफंड की जाएगी लेकिन उससे पहले यह जांच की जाएगी कि उक्त सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता बहाल कर दी गई है। यह धरोहर राशि सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता के लिए होगी और इससे संपत्ति को पहुचाई गई किसी भी प्रकार की क्षति का हर्जाना नही होगा। यदि आयोजनकर्ता , कार्यक्रम के आयोजन के परिणाम स्वरूप उत्सर्जित कचरे की सफाई , संग्रहण और ढुलाई में नगर निगम रूड़की की सेवाएं प्राप्त करना चाहते हो, तो उन्हे नगर निगम रूड़की के नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त/सहायक नगर आयुक्त को आवेदन करना होगा तथा इस प्रायोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया गया अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा।

अप) खाली प्लांट पर ठोस कचरा डम्प करने और गैर-निर्दिष्ट स्थानों पर निर्माण और विध्वंस कचरा डाले जाने की स्थितियों से नगर निगम रूड़की निम्नांकित ढंग से निपटेगा:-

क) नगर निगम रूड़की किसी परिसर के मालिक/अधिभागी को नोटिस भेज सकता है, जिसमें ऐसे मालिक/अधिभोगी से उक्त परिसर पर डाले गए किसी भी प्रकार के कचरे को नोटिस में वर्णित तरीके और समय सीमा के भीतर हटाने को कहा जाएगा।

ख) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाए पूरी करने में विफल रहता है , तो ऐसे व्यक्ति का समय समय पर निर्धारित दंड का भुगतान करना होगा।

ग) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाओं का अनुपालन करने में विफल रहता है तो नगर निगम रूड़की निम्नांकित कार्यवाई कर सकता है:-

प) ऐसे परिसर में प्रवेष कर कचरे को साफ करना, और (पप) अधिभोगी से कचरा साफ करने पर किए गए व्यय को वसूल करेंगा।

अपप) डिस्पोजेबल उत्पादों और सेनिटरी नेपकिन तथा डायपर्स के विनिर्माताओं या मालिकों का दायित्व:-

क) डिस्पोजेबल उत्पादों जैसे टिन, काच, प्लास्टिक पैकेजिंग आदि के सभी विनिर्माताओं अथवा नगर निगम रूड़की के अधिकारिक क्षेत्र में आने वाले बाजारों में ऐसे उत्पाद प्रारम्भ करने वाले ब्रांड मालिकों को कचरा प्रबंधन प्रणाली के लिए नगर निगम रूड़की को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी। नगर निगम रूड़की इस प्रावधान के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के सम्बद्ध विभागों के साथ समन्वय कर सकती है।

ख) ऐसे सभी ब्रांड मालिकों को, जो गैर-जैव अपघटीय पैकेजिंग सामग्री में अपने उत्पाद बेचते या विपणन करते है, उन्हे ऐसी प्रणाली कायम करनी होगी , जिसमें उनके उत्पादन के कारण उत्सर्जित पैकेजिंग कचरे को वापस लिया जा सके।

ग) सेनिटरी नेपकिन और डापर्स विनिर्माता या ब्रांड मालिक या विपणन कंपनियां इस बात की संभावनाओं का पता लगाएगी कि उनके उत्पादों में सभी रीसाइकिल योग्य पदार्थो का इस्तेमाल किस हद तक किया जा सकता है अथवा वे अपने सेनिटरी उत्पादों के पैकेट के साथ एक ऐसा पाउच या रैपर उपलब्ध कराएंगी , जिनमें नेपकिन या डायपर का निपटान किया जा सके।

घ) ऐसे सभी विनिर्माता, ब्रांड मालिक या विपणन कंपनियां अपने उत्पादों की रैंपिग और डिस्पोजन के लिए लोगो को शिक्षित करेगी।

14. नगर निगम रूड़की के दायित्व:

नगर निगम रूडकी अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले भूभाग मे सभी साझा गलियो/मार्ग, सार्वजनिक स्थलों , अस्थाई बस्तियों, मलिन क्षेत्रों , बाजारों, स्वयं के उद्यानो, बागों, नालियो आदि की सफाई की नियमित प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी। वह इसके लिए मानव संसाधन और मशीने लगाएगा तथा घोषित संग्रहण कन्टेनर से कचरा एकत्र करने और उसे हर रोज बन्द वाहने मे अन्तिम निपटान स्थल तक पहुचाने के लिए बाध्य होगा, जिसे लिए नगर निगम रूडकी अपने सफाई स्टाफ और वाहने के अलावा, अनुबन्ध के आधार प्राईवेट पार्टियो के काम पर लगा सकता है, अथवा सरकारी-निजी भागीदार व्यवस्था का सहारा ले सकता है। इसके अतिरिक्त नगर निगम रूडकी सभी वाणिज्यिक क्षेत्रों ऐसे वाणिजियक क्षेत्रो की पहचान करेगा, जिनमे दिन मे दो बार झाड़ू लगाने की आवश्यकता हो

(पप) नगर निगम रूडकी अथवा उसके द्वारा संलग्न अधिकृत एजेंसी सार्वजनिक मार्गों, रेलवे स्टेशनों , बस अड्डों, धार्मिक स्थलों और वाणिज्यक क्षेत्रों आदि के आसपास पर्याप्त संख्या में और पर्याप्त आकार के कूडदानों का रख रखाव करेगा।

(पपप) नगर निगम रूड़की विकेन्द्रीकृत और नियमित ढंग से ठोस कचरा प्रबंधन गतिविधियों के प्रयोजन के लिए प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड अधिकारी निर्दिष्ठ करेगा, ताकि वह कंटेनरों, सार्वजनिक शॉचालयों, सामुदायिक शोचालयों अथवा सार्वजनिक स्थलों पर बने पेशबघरों, सर्वाजनिक कचरे के लिए बनाए ट्रांसफर स्टेशन, लैडफिल प्रोसेसिंग यूनिटों आदि स्थानों की निगरानी रख सकें।

(पअ) सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरे के पृथक्करण, संगह, ढुलाई, प्रसंस्करण और निपटान कार्यों की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए पर्याप्त संख्या में वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा, जिसमें कम से कम अपर नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त या समकक्ष रैंक के अधिकारियों को वरीयता दी जायेगी।

(अ) प्रत्येक वार्ड निर्धारित मानदण्ड के आधार पर स्वीपिंग बीट्स में विभाजित किया जाएगा और उसमें तदनुरूप कार्मिक तैनात किए जाऐंगें या वर्तमान तैनाती युक्तिसंगत बनाया जाएगा तथा अद्यतन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए उनके काम पर निगरानी रखी जाएगी। नगर निगम रूड़की जहां कीह अपने स्टाफ से स्वीपिंग कराने में असमर्थ हो, तो वह अनुबंध के जरिए बाहरी एजेसियों से यह काम करा सकती है। प्रत्येक बीट का निरीक्षण दिशा निर्देश के अनुसार निर्धारित दैनिक आधार पर सुपरवाईजिंग अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

(अप) नगर निगम रूड़की अद्यतन सडक/गली क्लिनिंग मशीनों, मैकेनिकल स्वीपरों अथवा उपकरणों का इस्तेमाल करेगा, जिनसे झाड़ू लगाने और नालियें की सफाई की सक्षमता में सुधार होगा।

(अपप) नगर निगम रूडकी सूचना, शिक्षा और संचार (आई0ई0सी0) अभियान के माध्यम से जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करेगा तथा कचरा उत्सर्जकों और अन्य हितभागियों को

एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप-नियमों के विभिन्न प्रावधानों के बारे में प्रशिक्षित करेगा, जिसमें हस्तेमालकर्ता शुल्क और जुर्माना/दंड संबंधी प्रावधानों की जानकारी पर विशेष बल दिया जायेगा।

(अपपप) नगर निगम रूड़की कचरा उत्सर्जकों का इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगा कि वे गीले कचरे, का स्रोत पर ही उपचार करे। नगर निगम रूड़की विकेंद्रीकृत प्रौद्योगिकियों, जैसे बायो-मिथेनेशन, कम्पोस्टिंग आदि अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने पर भी विचार कर सकता है। इन प्रोत्साहनों में परिवारों, निवासी कल्याण संगठनों और संस्थानों आदि को पुरस्कृत और सम्मान प्रदान करना, उनके नाम सम्बद्व वेबसाईटों में प्रकाशित करना अथवा संपत्ति कर आदि में छूट प्रदान करना शामिल हो सकते है।

(पग) नगर निगम रूडकी स्वयं द्वारा रख रखाव किए जा रहे सभी पार्कों, उद्यानों और जहां कहीं संभव हो, अपने अधिकार क्षेत्र वाले अन्य स्थानों पर चरणबद्व तरीके से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग समाप्त करेगा और उनमें कम्पोस्ट का इस्तेमाल करेगा। अनौपचारिक कचरा रीसाइकलिंग क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले रीसाइकलिंग उपायो के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान किए जा सकते है।

(ग) नगर निगम रूड़की ठोस कचरा प्रबंधन प्रणालियो को सुचारू और औपचारिक बनाने के उपाय करेगा और यह प्रयास करेगा कि कचरा प्रबंधन में अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों (कचरा बीनने वालों) को वरीयता दी जाए, ताकि उनके कार्य स्थितियों को उन्नत बनाया जा सके और उन्हें ठोस कचरा प्रबंधन की औपचारिक प्रणाली में समाहित एवं एकीकृत किया जा सके।

(गप) नगर निगम रूड़की यह सुनिश्चित करेगा कि स्वच्छता सेवा के सुविधा प्रदाता द्वारा अपने उन श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सहित वर्दी, फ्लोरेसेंट जैकेट, दस्ताने रेनकोट, समुचित फुटवेयर और मास्क प्रदान किए जाएं, जो ठोस कचरा परिचालन कार्य करते है और यह भी कि ऐसे श्रमिकों द्वारा इन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाऐं।

(गपप) नगर निगम रूड़की कचरे के संग्रहण, परिवहन और परिचालन में शामिल स्वयं और बाहरी एजेंसी के स्टाफ की व्यवसायिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और इसके लिए उन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा के उपयुक्त और समुचित उपकरण प्रदान करेगा।

(गपपप) किसी ठोस कचरा प्रोसेसिंग या उपचार या निपटान केन्द्र अथवा लैंडफिल साइट पर कोई दुर्घटना होने की स्थिति में , उस केन्द्र का प्रभारी अधिकारी पर्यावरण पर्यवेक्षक तत्काल नगर निगम रूडकी को रिपोर्ट करेगा , जो स्थिति की समीक्षा करने के बाद उस केन्द्र के प्रभारी अधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी करेगा।

<u>गपअ)- नियमित जाँच</u>:- महापौर , उपमहापौर द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी वार्ड के विभिन्न भागो और ठोस कचरे के संग्रहण , ढुलाई प्रोसेसिंग और निपटाने से सम्बन्धित अन्य स्थानो की नियमित जांच करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एसडब्ल्यूएम नियमो और इन उपनियमो क विभिन्न प्रावधानो का पालन कर रहा है।

गअ)- नगर निगम रूडकी अपने मुख्यालय मे काल सेन्टर की स्थापना के जरिए सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली (**पीजीआरएस**) विकसित करेगा। इस पीजीआरएस मे एसएमएस आधारित सेवा, मोबाइल एप्लिकेशन अथवा वैब आधारित सेवाएं शामिल हो सकती है।

गअप)-नगर निगम रूडकी एसडब्ल्यूएम नियमो और उपनियमो के कार्यान्वयन से सम्बद्ध कर्मचारियो की उपस्थिकत दर्ज करने के लिए कार्ड प्रौद्योगिकियों/आईसीटी प्रणाली कार्यक्रम करेगा। तथा ऐसी प्रणाली को वेतन/दिहाडी/परिश्रमिक के साथ एकीकृत करने के प्रयास करेगा।

गअपप-पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुचः अधिक पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुच सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम रूडकी अपनी वेबसाइट से सारी आवश्यक सूचनाएं प्रदान करेगा।(गअपप) नगर निगम रूडकी एसडब्ल्यूएम नियमो मे वर्णित सभी अन्य दायित्व पूरे करेगा, जो इन उपनियमो में विशेष रूप से उल्लिखित नही किए गए है।

अध्याय-10

विविध

15.. इन उपनियमो की व्याख्या या कार्यान्यन मे कोई सन्देह या कठिनाई आने की स्थिति में उसे महापौर, नगर निगम रूडकी के समक्ष रखा जाएगा, जिसका निर्णय ऐसे मामले मे अन्तिम होगा।

<u>16. सरकारी निकायो के साथ समन्वय-</u> नगर निगम रूडकी अन्य सरकारी एजेन्सियों और प्राधिकरणो के साथ समन्वय करेगा, ताकि इन उपनियमो का अनुपालन ऐसे निकायो के अधिकार क्षेत्र या नियंन्त्रण मे आने वाले इलाको मे सुनिश्चित किया जा सके। कोई कठिनाई होने की स्थिति मे उत्तराखण्ड सरकार के मुख्य सचिव के समक्ष विचारार्थ रखा जाए।

17. सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरा प्रबन्धन नियम-२०१६ और इन उपनियमो के समुचित कार्यान्वयन के लिए समय समय पर सामान्य या विशेष आदेश जारी कर सकते है।

अनुसूची-1

ठोस कचरा प्रबन्धन के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्क

क्र0सं0	अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/अपशिष्ट का प्रकार	प्रतिमाह सेवा शुल्क(यूजर चार्जेज रूपये में)
1	2	3
1.	गरीबी रेखा से नीचे के घर/परिवार(बी.पी.एल. कार्ड धारक)	कच्ची झोपडी रूपये 10.00, पक्का मकान रू. 30.00
2.	मध्यम आये वाले घर/परिवार (एपीएल कार्ड धारक/10000.00 तक प्रतिमाह आये वाले घर)	रू 60.00
3.	उपरोक्त के अतिरिक्त घर/परिवार	रू 100.00
4.	.सब्जी एवं फल विक्रेता	ठेली पर फेरी में रू 10.00 प्रतिदिन, दुकान एवं फण्ड पर रू 20.00 प्रतिदिन/500 रू(मासिक)
5.	मांस एवं मच्छली विक्रेता	न्यूनतम 50.00 रू/प्रतिदिन/1000 रू (मासिक), 01 कि0ली0 तक, उससे अधिक पर रू 02.00 प्रति कि0ग्रा0 प्रतिदिन अतिरिक्त
6.	रेस्टोरेन्ट	छोटे रू 500.00 (20 कि0ग्रा0/प्रतिदिन), मध्यम रू 1000.00(21-50कि0ग्रा0/प्रतिदिन) बडे रू 2000.00 (51-100कि0ग्रा0/प्रतिदिन) 100 कि0ग्रा0/प्रतिदिन से अधिक कूडा उत्पादित करने वाले बिजेंद्र कुमार रेस्टोरेन्ट को Bulk Garbege Genrator की श्रेणी में रखा जाएगा। उन रेस्टोरेन्ट द्वारा स्वयं के स्तर पर कूडे का निस्तारण सम्बन्धित कार्यवाही की जाएगी। अन्यथा किसी स्थिति में 1000रू/ट्राली,500रू/प्रति टाटा एस प्रति चक्कर के आधार पर यूजर चार्ज वसूला जाएगा।

1	2	3
7.	होटल/लाजिंग/गेस्ट हाऊस	20 बेड तक रू1000.00, 21 बेड से 40 बेड तक रू0 1500.00 एवं 41 से अधिक बेड तक रू0 2000.00
8.	धर्मशाला	रू 10 प्रति कमरा प्रतिमाह
9.	बारातघर पार्टी हॉल (चेरिटेबल) बारातघर/पार्टी हॉल (नान-चेरिटेबल)	रू0 500.00 प्रति उत्सव (अधिकतम 01 ट्रेक्टर ट्राली) रू0 1000.00 प्रति उत्सव (अधिकतम 01 ट्रेक्टर ट्राली) इसके अतिरिक्त 400 रू0 प्रति टाटा एस0
10.	बेकरी	रू 500.00
11.	कार्यालय	50 कर्मचारियो तक रू0 200.00, 51 से 100 कर्मचारियो तक रू 400.00, 101 से 300 कर्मचारियो तक रू0 500.00 तथा उससे अधिक कर्मचारियो वाले कार्यालय से रू 1000.00
12.	स्कूल शिक्षण/संस्थाएं (आवासीय)	100 बेड तक के लिए रू 2000.00, उससे अधिक रू 10.00 प्रति बेड अतिरिक्त
13.	स्कूल शिक्षण/संस्थाएं (अनावासीय)	500 विद्यार्थियो तक रू0 1000.00 उससे अधिक रू 1500.00
14.	होस्पिट्ल/नर्सिंग होम(बायोमेडिकल वेस्ट को छोडकर)	20 बेड तक रू 500, 21 बेड से 40 बेड तक रू 1000.00 एवं 41 से 100 बेड तक रू 2000.00, उससे अधिक रू 25000.00
15.	क्लीनिक/पैथोलोजी	क्लिनिक रु 500.00 पैथोलोजि रु 500.00 (मसिक)
16.	दुकान/चाय की दुकान	मोहल्ले की छोटी दुकान रू 100.00 बाजार की दुकान रू 200.00 शोरूम रू 500.00 छोटे मौल रू 1000.00 बहुमन्जिला मौल रू 2000.00
17.	फैक्ट्री	छोटी रू 800.00 (20कि0ग्रा0/प्रतिदिन तक) मध्यम रू 1000.00(20-50कि0ग्रा0/प्रतिदिन तक) बडी रू 2000.00(51-100कि0ग्रा0/प्रतिदिन तक) 100 कि0ग्रा0/प्रतिदिन से अधिक कूडा

1	2	3
		उत्पादित करने वाले को बल्क गारबेज जनरेटर की श्रेणी मे रखा जाएगा उन फैक्ट्री द्वारा स्वयं स्तर पर कूडे का निस्तारण सम्बन्धित कार्यवाही की जाएगी। अन्यथा की स्थिति में 1000 रू/ ट्रोली,500रू/टाटा एस प्रति चक्कर क आधार पर यूजर चार्ज वसूला जायेगा।
18.	वर्कशाप	छोटी रू 500.00, बडी रू 1000.00
19.	कबाडी	छोटी रू 200.00 बडी रू 500.00
20.	जूस/गन्ने का रस विक्रेता	रू 20.00 प्रतिदिन, (500.00 रू मासिक)
21.	सार्वजनिक /निजी स्थलो पर सर्कस/प्रदर्शनी/विवाह आयोजन जिनमे अपशिष्ट उत्पन्न हो	रू 1000.00 होटलो में, विवाह रू 2000.00 प्रति उत्सव
22.	ढहान तथा निर्माण सम्बन्धि अपशिष्ट	0.50घन मी0 तक रू 200.00, 1.0घन मी0 तक रू 400.00, 3.0घन मी0 तक रू 1000.00, 6.0घन मी0 तक रू 2000.00, इससे अधिक प्रतिघन मी0 रू 200.00 अधिक
23.	सिनेमा हॉल	रू 1000.00 प्रतिमाह
24.	सैलून/सौन्दर्य प्रसाधन/बूटिक दर्जी	रू 20 प्रतिदिन/500 रू प्रतिमाह
24.	उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य प्रतिष्ठान की दुकान की स्थिति के अनुसार	रू 500.00 से रू 5000.00 तक

इस्तेमाकर्ता शुल्क/प्रभार का मांग जारी होने से ३० दिन क भीतर न किये जाने की स्थिति मे इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभार पर 10 प्रतिशत की दर से विलम्ब भुगतान/प्रभार (एलपीएससी) लगाया जाएगा।

अनुसूची-2

जुर्माना/दंड

क्र सं	नियम/उप नियम संख्या	अपराध	निम्नांकित पर लागू	प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना(रूपये में)
1	2	3	4	5
1.	एसडब्ल्यूएम नियमों को नियम4(1)/(क)	कचरे को पृथक करने और संग्रह करने तथा पृथक्कृत कचरे को इन नियमो के अनुसार सौपने मे विफल करना	आवासीय बल्क जनरेटर	200 500
			5000 वर्ग मी0 से कम क्षेत्र वाले विवाह/पार्टी हॉल, फेस्टीवल हॉल, पार्टी लान , प्रदर्शनी और मेले स्थल	5000 तक
			5000 वर्ग मी0 से कम क्षेत्र वाले क्लबों, सिनेमा घरो , पब्स, सामुदायिक हॉल, मल्टिप्लेक्सेज और अन्य ऐसे स्थान	5000 रू तक
			5000 मी0 से कम क्षेत्र वाले अन्य गैर -आवासीय स्थान	500 तक
			फिश, मीट विक्रेता द्वारा कूडे को पृथक्करण तरीके से न रखना	500 तक
	एसडब्लयूएम नियमो को नियम 4(2)	1.सडक/नाली मे कूडा फैंकना, थूकना 2. नहाना,पेशाब करना, जानवरो को चारा खिलाना, कपडे धोना, वाहन धोना, गोबर नाली मे बहाना	उल्लंघनकर्ता	200 से 500 एवं कार्यवाही उत्तराखण्ड कूडा फैंकना एव थूकना प्रतिषेध अधिनियम-2016 के अन्तर्गत होगी 200 से 5000 रू
2.	एसडब्लयूएम नियमो का	नियमानुसार सेनिटरी कचरे का निपटान करने	आवासीय	200 से 5000 रू

1	2	3	4	5
	नियम 4(1)(ख) और (घ)	मे भी विफल रहना ... नियम के अनुसार बागवानी और उद्यान कचरे क निपटान मे विफल रहना	गैर -आवासीय/बल्क जनरेटर	500 से 5000 रू
3.	एसडब्लयूएम नियमो का नियम 4(1)ग	नियम के अनुसार निर्माण और विध्वंस कचरे के निपटान मे विफल रहना	आवासीय	1000
			गैर-आवासीय/बल्क जनरेटर	5000
4.	एसडब्लयूएम नियमो का नियम 4(2), 15(ट)	ठोस कचरे को खुले मे जलाना	उल्लघनकर्ता	5000 से 25,000 रु0
5.	एसडब्लयूएम नियमो का नियम 4(4)	निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किये बिना किसी गैर लाइसेन्सीकृत स्थल पर 100 व्यक्तियो से अधिक की भागीदारी के साथ कार्यक्रम या सभा का आयोजन करना	ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित करने वाले व्यक्ति अथवा ऐसा व्यक्ति जिसकी ओर से ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित की गई हो और इवेन्ट मैनेजर यदि कोई हो, जिसने कार्यक्रम या सभा आयोजित की हो	10,000
6.	एसडब्लयूएम नियमो का नियम 4(5)	नियम के अनुसार कचरे का निपटान करने मे विफल रहने वाली गली विक्रेता/वेन्डर कूडेदान न रखने एवं कूडे का पृथ्थकरण न करने, अपशिष्ट भण्डारन डिपो या पात्र या वाहन मे डालन मे विफल रहने पर	उल्लंघनकर्ता	200 से 1000 रू
7.	एसडब्लयूएम नियमो का नियम 4(2), 15(छ)	सार्वजनिक स्थलो, सडको , गलियो आदि मे गन्दगी फैलाना/कुते/अन्य जानवरो द्वारा मल त्याग/उत्सर्जित कचरे के निपटान मे विफलता	अपराधी	200 से 5000 रू
	निम्नाकित उल्लंघनो के लिए महीने मे केवल एक बार जुर्माना लगाया जायेगा			
8.	एसडब्लयूएम नियमो का नियम 4(6)	नियमो के अनुसार कचरे का निपटान मे विफलता	निवासी कल्याण एसोसिएशन, आर.डब्लयू.ए.	10,000 तक

1	2	3	4	5
			बाजार एसोसिऐशन, संघ	20,000 तक
9.	एसडब्लयूएम नियमो का नियम 4(7)	नियमो के अनुसार कचरे का निपटान मे विफलता	द्वारबन्द समुदाय	10, 000 तक
			संस्थान	20,000 तक
10.	एसडब्लयूएम नियमो का नियम 4(8)	नियमो के अनुसार कचरे का निपटान मे विफलता	होटल	50,000 तक
			रेस्टोरेन्ट	20,000 तक
11.	एसडब्लयूएम नियमो का नियम 17(2)	उत्पाद के कारण सृजित पैकेजिंग कचरे को वापस लेने की प्रणाली कायम किए बिना डिस्पोजल उत्पादो की बिक्री अथवा विपणन	विनिर्मात और/या ब्राॅण्ड आनर/स्वामी	1,00,000
12.	एसडब्लयूएम नियमो का नियम 17(3)	नियमो के अनुसार उपाय करने मे विफलता	विनिर्माता और ब्रान्ड स्वामी और विपणन कम्पनियां	50,000
13.	एसडब्लयूएम नियमो का नियम 15य(ड.)	नियमो के उपाय करने, भवन योजना मे अपशिष्ट संग्रहण केन्द्र स्थापित करने विफलता	उल्लंघनकर्ता, ग्रुप हाऊसिंग सोसाईटी या मार्केट कोम्प्लेक्स आदि	50,000
14.	एसडब्लयूएम नियमो का नियम 20(ग)	गलियो, पहाडियो , सार्वजनिक स्थलो मे अपशिष्ट यथा कागज, पानी की बोतल, शराब की बोतल, सोफ्ट ड्रिंक कैन, टैट्रा पैक अन्य कोई प्लास्टिक या कागज अपशिष्ठ को फैंकने पर	उल्लंघनकर्ता/पर्यटक/वाहन/चालक	200 से 5000 रू तक
15.	एसडब्लयूएम नियमो का नियम 20(घ)	नगर निगम रुडकी की उपविधि को होटल/अतिथिग्रह मे बोर्ड लगाकर व्यवस्था करने मे विफलता	उल्लंघनकर्ता/होटल/अतिथिग्रह स्वामी	1000 तक

1	2	3	4	5
16.		सार्वजनिक सभाओं (जलूस प्रर्दशिनियों, सर्कस, मेले, राजनैतिक रेलियां, वाणिज्यिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमो, विरोध प्रर्दशन आदि सहित से सार्वजनिक स्थलो पर आयोजित गतिधियो के क्षेत्र, एवं आस पास के क्षेत्रो की स्वच्छता सुनिश्चित करने मे विफलता)	आयोजनकर्ता	5000 तक

ह0/– (अस्पष्ट)
सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम रूड़की।

ह0/– (अस्पष्ट)
नगर आयुक्त,
नगर निगम रूड़की।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 30 हिन्दी गजट/293–भाग 8–2020 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।